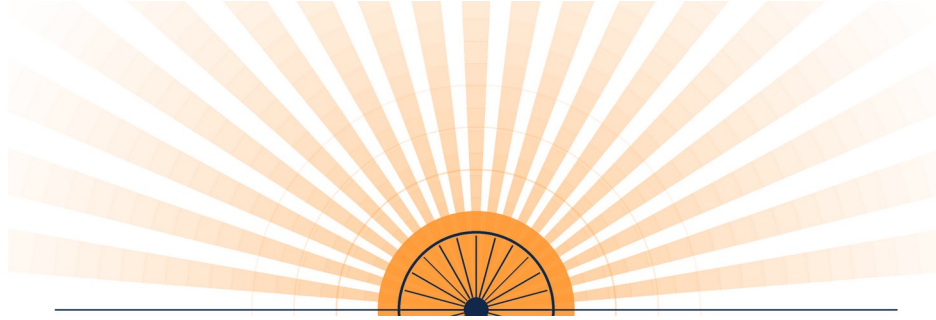




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“तो आइए, हम नए सिरे से शुरुआत करें, दोनों पक्ष यह याद रखते हुए कि शिष्टता कमजोरी का लक्षण नहीं है और सच्चाई को सदा प्रमाण की कसौटी पर कसा जा सकता है। हम कभी डर के कारण बातचीत न करें। पर बातचीत करने से कभी डरें भी नहीं।”

— जॉन एफ़. कैनेडी, राष्ट्रपति पद का उद्घाटन भाषण (20 जनवरी 1961)

द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 3 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 3 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“हम, जो तुम फ़िलिस्तीनियों के विरुद्ध लड़े हैं, आज तुमसे ऊँची और साफ़ आवाज़ में कहते हैं: बहुत हो चुका खून और आँसुओं का सिलसिला बस!”

— **यित्ज़ाक राबिन** • व्हाइट हाउस में ओस्लो सिद्धांत-घोषणा पर हस्ताक्षर के अवसर पर भाषण, 13 सितंबर 1993 (पाठ द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, 16 सितंबर 1993 में छपे प्रतिलेख के अनुसार)

उपयोग करें (Use in): आज का निबंध, “युद्ध शुरू करने से कहीं अधिक साहस उसे समाप्त करने में लगता है”, और यूक्रेन के लिए भारत का शांति-प्रस्ताव, जिसे कीव ने मेज़ पर रखे प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। इसका उपयोग संघर्ष-समाधान और मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका पर सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में, नैतिक साहस और नेतृत्व पर सामान्य अध्ययन-4 में, और युद्ध-शांति पर निबंधों में करें: राबिन वह सैनिक थे जिन्होंने 1967 में इज़राइली सेना की कमान संभाली थी, और 1995 में शांति के विरोधी एक इज़राइली ने ही उनकी हत्या की। इसके साथ ऐसे भारतीय उदाहरण दें जहाँ नेताओं ने अपने ही घर में यही जोखिम उठाया, जैसे राजीव गांधी और लाल बहादूर शास्त्री। तर्क दें कि किसी समझौते का सबसे बड़ा विरोधी अक्सर अपने ही पक्ष में बैठा होता है।

“बनाई गई हर बंदूक, समुद्र में उतारा गया हर युद्धपोत, दागा गया हर रॉकेट, अंततः उन लोगों से की गई चोरी है जो भूखे हैं और जिन्हें भोजन नहीं मिलता, जो टिटुर रहे हैं और जिनके पास कपड़े नहीं हैं।”

— **इवाइट डी. आइज़नहावर** • “द चांस फ़ॉर पीस” (The Chance for Peace), अमेरिकन सोसाइटी ऑफ़ न्यूज़पेपर एडिटर्स के समक्ष भाषण, 16 अप्रैल 1953 (पाठ आइज़नहावर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी की साइट के अनुसार)

उपयोग करें (Use in): युद्ध समाप्त करने पर आज के निबंध का लागत वाला पक्ष। इसका उपयोग रक्षा-व्यय और उसके विकल्पों पर सामान्य अध्ययन-3 के उत्तरों में, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन पर सामान्य अध्ययन-2 में, और विकास, सुरक्षा तथा शांति पर निबंधों में करें: इन शब्दों का वज़न इसलिए है कि ये यूरोप पर मित्र राष्ट्रों के आक्रमण की कमान संभालने वाले सेनापति के हैं। इसके साथ विश्व सैन्य व्यय के बढ़ते SIPRI आँकड़े और भारत के अपने ‘बंदूक बनाम रोटी’ वाले विकल्प रखें। संतुलन ईमानदारी से साधें: आइज़नहावर ने हमले के सामने हथियार डालने की वकालत नहीं की, केवल यह कहा कि लंबा खिंचता हर युद्ध ग़रीबों की जेब से चुकाया जाता है।

“तो यह है वह समस्या जो हम आपके सामने रखते हैं, नग्न, भयावह और अपरिहार्य: क्या हम मानव जाति का अंत कर देंगे, या मानवता युद्ध का त्याग करेगी?”

— **बर्ट्रैंड रसेल और अल्बर्ट आइंस्टीन** • रसेल-आइंस्टीन घोषणापत्र (Russell-Einstein Manifesto), 9 जुलाई 1955 (पाठ pugwash.org के अनुसार)

उपयोग करें (Use in): आज के निबंध का विज्ञान वाला सूत्र। इसका उपयोग परमाणु हथियार, प्रतिरोध (डिट्रेंस) और विज्ञान की नैतिकता पर सामान्य अध्ययन-3 के उत्तरों में, शस्त्र-नियंत्रण पर सामान्य अध्ययन-2 में (1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, NPT, भारत का ‘पहले प्रयोग नहीं’ सिद्धांत), और वैज्ञानिकों के सामाजिक दायित्व पर सामान्य अध्ययन-4 में करें: इसी घोषणापत्र से पगवॉश सम्मेलन निकले, जिन्हें जोसेफ़ रॉटब्लाट के साथ 1995 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तर्क दें कि परमाणु युग में युद्ध रोकने और टालने का साहस आदर्शवाद नहीं, अस्तित्व की शर्त है।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड • पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 8 मिनट

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 गुजरात की समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की स्वीकृति, राजपत्र में प्रकाशित; लागू होने की तिथि का इंतज़ार
- 1.2 केंद्र ने नए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को चलाने के लिए न्यायाधिकरण सदस्य नियम, 2026 अधिसूचित किए
- 1.3 सर्वोच्च न्यायालय ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संसदीय समिति के साथ न्यायाधीशों की बैठक रद्द की

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 तीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 38 अरब डॉलर गिरा, RBI अपनी वायदा बही का निपटान कर रहा है
- 2.2 पहले ज़िला-स्तरीय ASUSE अनुमान: अनौपचारिक उद्यम कुछ जगहों पर जमे हुए, उत्पादकता में भारी अंतर

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 सूखे में महिला मज़दूरों पर पानी और कर्ज़ का बोझ बढ़ा, महाराष्ट्र ने महिला किसान प्रमाणपत्र देना शुरू किया

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 यूक्रेन ने भारत के शांति प्रस्ताव को मेज़ पर मौजूद चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया
- 4.2 अमेरिका के बंधुआ-श्रम शुल्क की मार के बीच गोयल ने G20 में “अतिरिक्त क्षमता” का आरोप खारिज किया
- 4.3 इराक फिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना; G7 ने 10 करोड़ बैरल जारी किए

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम वनशक्ति फैसले के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चात-स्वीकृति मंजूरियाँ फिर शुरू कीं
- 5.2 पहली बार बंदी-प्रजनित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थार के जंगल में छोड़े जाएंगे

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 CSIR-CCMB ने भारतीय बच्चों के आँकड़ों से सिकल सेल एनीमिया के लिए भारत-विशिष्ट गंभीरता स्कोर बनाया

7. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 7.1 केंद्र ने कुकी-ज़ो युद्धविराम को स्थगित रखा; मणिपुर 49 लापता लोगों के परिजनों को भुगतान करेगा

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 केस 1 — सत्तर डॉक्टर बर्खास्त, सत्तर पद रिक्त: वह निदेशक जिसे क्लिनिक खाली किए बिना अनुशासन लागू करना है
- 9.2 केस 2 — बाढ़-ग्रस्त गाँव के ऊपर हेलीकॉप्टर: राहत की गति बनाम नीचे प्रतीक्षा कर रहे लोगों की सुरक्षा

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 13 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.3
- 11.2 GS1 कोना — Geography: थार मरुस्थल: यह शुष्क क्यों है और यहाँ जीवन कैसे चलता है
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): निष्पक्षता (Impartiality)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 12.1 युद्ध शुरू करने से कहीं अधिक साहस उसे समाप्त करने में लगता है।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	गुजरात की समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की स्वीकृति, राजपत्र में अधिसूचित क्यों ज़रूरी: GS2, अनुच्छेद 44: प्रारंभिक परीक्षा के लिए समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5, अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत स्वीकृति और अनुसूचित जनजाति का अपवर्जन; मुख्य परीक्षा के लिए राज्य-स्तरीय UCC।
2.1	RBI के फ़ॉरवर्ड बही समेटने से विदेशी मुद्रा भंडार \$38 अरब गिरा क्यों ज़रूरी: GS3, बाह्य क्षेत्र: भंडार के घटक, FCNR(B) और 'शॉर्ट' फ़ॉरवर्ड बही प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार सामग्री हैं; हस्तक्षेप की लागत मुख्य परीक्षा के लिए उपयुक्त है।
4.3	इराक फिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता; G7 ने 10 करोड़ बैरल जारी किए क्यों ज़रूरी: GS3, ऊर्जा सुरक्षा: प्रारंभिक परीक्षा के लिए होमुंज का भूगोल, IEA के भंडार-नियम और ISPRL के भंडार; मुख्य परीक्षा के लिए विविधीकरण बनाम भंडार।
5.1	सर्वोच्च न्यायालय के वनशक्ति निर्णय के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने कार्योत्तर मंजूरियाँ फिर शुरू कीं क्यों ज़रूरी: GS3, पर्यावरण कानून: प्रारंभिक परीक्षा के लिए EIA 2006 के चरण और श्रेणी A/B; मुख्य परीक्षा के लिए विधि का शासन बनाम विवेकाधिकार।
7.1	केंद्र ने कुकी-ज़ो संघर्ष-विराम स्थगित रखा; मणिपुर ने 49 लापता लोगों के परिजनों को भुगतान किया क्यों ज़रूरी: GS3, आंतरिक सुरक्षा: SoO समझौता, अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 371C प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार हैं; संघर्ष-विराम बनाम समाधान मुख्य परीक्षा के लिए उपयुक्त है।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

तीनों खबरें इस सवाल से जुड़ी हैं कि फैसला कौन करेगा और किस क्रम में गुजरात ने समान नागरिक संहिता के नीति निदेशक तत्व को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ राज्य का कानून बना दिया है, इसलिए अब प्रश्न यह नहीं रहा कि संहिता बनेगी या नहीं, बल्कि यह है कि भारत में कितनी संहिताएँ होंगी। सर्वोच्च न्यायालय के इनकार के बाद कि मंत्रालय स्वयं नियुक्तियाँ करें, केंद्र ने न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक आयोग गठित किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे विधेयक पर संसदीय समिति के साथ बैठने से मना कर दिया है जिसकी वैधता को परखने की ज़िम्मेदारी कल उसी पर आ सकती है। यह छोटा-सा निर्णय शक्तियों के पृथक्करण को किसी भी पाठ्यपुस्तक से अधिक साफ़ ढंग से रेखांकित करता है।

1.1 गुजरात की समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की स्वीकृति, राजपत्र में प्रकाशित; लागू होने की तिथि का इंतज़ार

मुद्दा समान नागरिक संहिता और व्यक्तिगत कानून (कडी 4) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य - स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी अमित शाह ने NDA-शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) का वादा किया; उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसे केवल संसद बना सकती है। 1948 की संविधान सभा की बहस फिर खंगाली गई, और असम ने हर मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया।

समाचार (THE NEWS) गांधीनगर। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 सितंबर को गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 को स्वीकृति दी और अधिनियम 1 अक्टूबर की तारीख वाले राजपत्र में प्रकाशित हुआ; यह उस तिथि से लागू होगा जिसे राज्य अधिसूचित करेगा। समान नागरिक संहिता (UCC) का अर्थ है विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर सभी धर्मों के लिए एक ही नागरिक कानून। मार्च में पारित और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस अधिनियम में विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर अनिवार्य है (₹10,000 तक का दंड), बहुविवाह प्रतिबंधित है और लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को पंजीकरण कराना होगा; ET के अनुसार पंजीकरण न कराने पर तीन महीने तक की जेल हो सकती है। PRS पर उपलब्ध विधेयक के पाठ के अनुसार विवाह की आयु पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। अनुसूचित जनजातियाँ और भाग XXI के अंतर्गत आने वाले समूह इससे बाहर रखे गए हैं। हमारे 23 सितंबर के कार्ड के बाद नई बात यह है कि उत्तराखंड के बाद गुजरात UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य है (गोवा में पुर्तगाली दौर की नागरिक संहिता कायम है)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनुच्छेद 44 एक गैर-न्यायोचित लक्ष्य तय करता है → 1955-56 में हिंदू कानून का संहिताकरण, अन्य का नहीं → उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना → गुजरात की देसाई समिति संहिता का मसौदा बनाती है, मार्च 2026 में पारित → 17 सितंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति, 1 अक्टूबर को राजपत्र, लागू होना अधिसूचना पर निर्भर

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. अनुच्छेद 44 एक निदेशक तत्व है, और व्यक्तिगत कानून समवर्ती सूची में आते हैं — भाग IV का अनुच्छेद 44 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे; अनुच्छेद 37 के अनुसार इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। सूची III की प्रविष्टि 5 में विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, वसीयत और उत्तराधिकार आते हैं, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों इन पर कानून बना सकते हैं।
2. केंद्रीय कानून से टकराने वाला राज्य का कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही टिकता है — अनुच्छेद 254(1) के अनुसार समवर्ती विषय पर राज्य का कोई कानून केंद्रीय कानून से विरोध में हो तो केंद्रीय कानून प्रभावी रहता है; अनुच्छेद 254(2) उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर उस राज्य के भीतर बचा लेता है, हालाँकि संसद बाद में उसे निरस्त कर सकती है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयक को आरक्षित करता है; राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के अंतर्गत निर्णय लेता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. राज्य द्वारा बनाई गई UCC संघवाद की उतनी ही परीक्षा है जितनी धर्मनिरपेक्षता की — GS2 में “संघीय ढाँचे से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ” तथा GS1 में “धर्मनिरपेक्षता” पर प्रश्न पूछे जाते हैं। दो राज्यों की संहिताओं के बाद अनुच्छेद 44 तक पहुँचने का संघीय रास्ता परीक्षा में आने वाला संभावित प्रश्न है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- भाग IV का नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे।
- विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, वसीयत और उत्तराधिकार सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं।
- अनुच्छेद 254(2) के अनुसार समवर्ती विषय पर बना राज्य का कानून, यदि केंद्रीय कानून के विरोध में हो पर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली हो, तो उस राज्य में प्रभावी रहता है।
- अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करता है; भाग XXI में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, जिनमें नगा प्रथागत कानून से संबंधित अनुच्छेद 371A भी शामिल है।

विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — केंद्र और राज्य : राज्य-दर-राज्य बनी संहिता एक राज्य के भीतर एकसमान होती है, पूरे भारत में नहीं — अनुच्छेद 44 समस्त राज्यक्षेत्र की बात करता है, पर समवर्तिता के कारण हर राज्य अपनी संहिता लिख सकता है। तीसरा राज्य विवाह की कोई और आयु या लिव-इन के अलग नियम चुन सकता है, और तब सीमा पार करने वाले परिवार को भिन्न कानून मिलेगा। एक विवेकशील अधिकारी राज्यों के प्रयोगों को वैध मानेगा, पर यह भी अपेक्षा रखेगा कि अंतिम शब्द रखने वाली संसद उनमें सामंजस्य बैठाए। 2. जनजातीय अपवाद दिखाता है कि “समान” में पहले से अपवाद मौजूद हैं — अनुसूचित जनजातियों और भाग XXI के समूहों को बाहर रखना संरक्षित प्रथागत कानून का सम्मान है, पर तब संहिता अधिकांश नागरिकों के लिए एकसमान है, सभी के लिए नहीं, और रेखा धर्म के बजाय जनजाति के आधार पर खिंची है। समानता यहाँ चरणों में सांघी जा रही है। 3. लिव-इन पंजीकरण राज्य को वयस्कों के सबसे निजी निर्णयों तक ले जाता है — विवाह पंजीकरण पत्नी को भरण-पोषण और उत्तराधिकार के लिए प्रमाण देता है। लेकिन लिव-इन संबंध का पंजीकरण, दंड और 21 वर्ष से कम आयु के साथियों के मामले में माता-पिता को सूचना के साथ, ऐसे चुनाव को दर्ज करता है जिसे मान्यता देने की माँग वयस्कों ने राज्य से की ही नहीं। चूँकि पुट्टस्वामी (2017) ने निजता को मूल अधिकार घोषित किया, इस नियम की परीक्षा आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर होगी; समर्थकों का कहना है कि यह उन महिलाओं की रक्षा करता है जो उपचार-विहीन रह जाती हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“राज्य-दर-राज्य बनाई गई समान नागरिक संहिता राज्यों के भीतर एकरूपता ला सकती है, पूरे भारत में नहीं।” गुजरात समान नागरिक संहिता, 2026 के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — लाभों को विखंडन के सामने तौलिए और निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — गुजरात UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य है — 17 सितंबर को स्वीकृति, 1 अक्टूबर को राजपत्र; अनुच्छेद 44 को आधार बनाइए। 3. मुख्य भाग — समवर्तिता राज्य संहिताओं को वैध बनाती है और अनुच्छेद 254(2) उन्हें टिकाऊ — प्रवाह-चित्र बनाइए: राज्य का विधेयक → राज्यपाल आरक्षित करता है (अनुच्छेद 200) → राष्ट्रपति स्वीकृति देता है (अनुच्छेद 201) → कानून राज्य में प्रभावी। 4. मुख्य भाग — संहिता बनावट से ही असमान है — जनजातीय अपवाद और राज्यों के भिन्न नियम “भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में” की भावना को कमज़ोर करते हैं। 5. मुख्य भाग — महिलाओं को लाभ वास्तविक है, पर लिव-इन पंजीकरण निजता के प्रश्न उठाता है — मूल्य-वर्धन: पुट्टस्वामी (2017) की आनुपातिकता कसौटी। 6. निष्कर्ष — राज्यों को प्रयोग करने दीजिए, फिर संसद सामंजस्य बैठाए — परामर्श के बाद एक साझा न्यूनतम संहिता।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. संहिता अधिसूचित होने पर आप गुजरात के कलेक्टर हैं। अनिवार्य पंजीकरण के लिए आप क्या तैयारी करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं गाँवों के निकट पंजीकरण केंद्र खुलवाऊँगा और 60 दिन की समय-सीमा का गुजराती में प्रचार करूँगा। चूँकि दंड जानबूझकर चूक करने पर लागू होता है, इसलिए शुरुआती महीने जुर्माने के बजाय जागरूकता के लिए रखूँगा। पंजीयकों को यह स्पष्ट रहना चाहिए कि जनजातीय सदस्य संहिता के दायरे से बाहर हैं।

1.2 केंद्र ने नए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को चलाने के लिए न्यायाधिकरण सदस्य नियम, 2026 अधिसूचित किए

मुद्दा Tribunals and judicial independence (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • विधि का शासन और विवेकाधिकार

अब तक की कहानी अनुच्छेद 323A और 323B के अंतर्गत बने न्यायाधिकरण विशेष विवादों का निपटारा अदालतों से तेज़ करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों और कार्यकाल पर मंत्रालयों का नियंत्रण देने वाले नियमों को बार-बार रद्द किया; संसद ने अगस्त 2026 में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पारित किया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू के अनुसार केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 30 सितंबर को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग तथा न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, चयन और सेवा-शर्तें नियम, 2026 जारी किए, जिन्हें गुरुवार को प्रकाशित किया गया। न्यायाधिकरण एक विशेषज्ञ निकाय है जो कर, कंपनी या सेवा जैसे विवादों का निपटारा सामान्य अदालतों के स्थान पर करता है। इन नियमों के तहत नया आयोग 16 न्यायाधिकरणों और अपीलीय निकायों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करेगा, पात्रता तय करेगा, कदाचार की शिकायतों के लिए जाँच-तंत्र बनाएगा और आयोग के अध्यक्ष का मासिक वेतन ₹2.5 लाख तथा सदस्यों का ₹2.25 लाख निर्धारित करेगा। रिक्तियों पर कार्यवाही उनके उत्पन्न होने से कम से कम छह महीने पहले शुरू होनी चाहिए, जो खोज-सह-चयन

समितियों के माध्यम से विशेषज्ञ मूल्यांकन, व्यक्तिगत साक्षात्कार और लिखित अभ्यास के आधार पर होगी। PRS के अनुसार मूल विधेयक 10-11 अगस्त को संसद से पारित हुआ और उसने 2021 के अधिनियम को निरस्त किया; न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष 70 वर्ष तक और सदस्य 67 वर्ष तक सेवा करेंगे, और केंद्र को सिफ़ारिश के तीन महीने के भीतर नियुक्ति करनी होगी।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1976 में 42वाँ संशोधन न्यायाधिकरणों की अनुमति देता है → प्रायोजक मंत्रालय नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन पर नियंत्रण रखते हैं → सर्वोच्च न्यायालय एक के बाद एक नियमों और न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के हिस्सों को रद्द करता है और स्वतंत्र आयोग का निर्देश देता है → संसद अगस्त में 2026 का विधेयक पारित करती है → 30 सितंबर को नियम अधिसूचित

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	अनुच्छेद 323A और 323B 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़े गए — अनुच्छेद 323A संसद को लोक सेवकों के सेवा-विवादों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति देता है; केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) इसी पर आधारित है। अनुच्छेद 323B संसद या राज्य विधानमंडलों को कराधान, भूमि सुधार और निर्वाचन जैसे सूचीबद्ध विषयों के लिए न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरणों को न्यायिक नियंत्रण में रखा है — एल. चंद्र कुमार (1997) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन को मूल ढाँचे का भाग माना, इसलिए न्यायाधिकरण के आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मद्रास बार एसोसिएशन मामलों में न्यायालय ने कार्यपालिका-प्रधान चयन और छोटे कार्यकालों को रद्द किया और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग बनाने का निर्देश दिया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	न्यायाधिकरण शक्तियों के पृथक्करण का स्थायी उदाहरण हैं — GS2 में “सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय” तथा न्यायपालिका की कार्यप्रणाली शामिल हैं। न्यायाधिकरणों को लेकर संसद और न्यायालय के बीच लंबी खींचतान दोनों के लिए तैयार सामग्री है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद 323A और 323B, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए। ● अनुच्छेद 323A के अंतर्गत न्यायाधिकरण केवल संसद बना सकती है; अनुच्छेद 323B के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों बना सकते हैं। ● L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) में निर्णय हुआ कि अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायाधिकरणों के निर्णयों तक विस्तृत है और यह मूल ढाँचे का भाग है। ● PRS के अनुसार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग में एक अध्यक्ष, दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	दृष्टि — स्वतंत्रता और जवाबदेही: आयोग नियुक्तियों को तभी सुरक्षित करता है जब वह स्वयं सुरक्षित हो — पुरानी समस्या यह थी कि जिस मंत्रालय के निर्णयों की समीक्षा न्यायाधिकरण करता था, वही उसके सदस्यों को चुनता, वेतन देता और पुनर्नियुक्त करता था। निश्चित वेतन वाला न्यायिक नेतृत्व का आयोग इस रोज़मर्रा की निर्भरता को हटाता है। पर कई न्यायाधिकरणों का वित्त-पोषण अब भी मंत्रालय करते हैं, और तीन महीने की नियुक्ति-समय-सीमा चूकने पर किसी परिणाम का उल्लेख नहीं है। सावधान अधिकारी सुधार को एक वर्ष बाद रिक्तियों और विलंब के आँकड़ों से परखेगा। छह महीने का नियम रिक्तियों पर उनकी जड़ में प्रहार करता है — न्यायाधिकरण अक्सर आधे खाली रहे, क्योंकि चयन पद खाली होने के बाद ही शुरू होता था। छह महीने पहले शुरूआत करने से एक विवेकाधीन आदत स्थायी नियम बन जाती है। यह छोटा बदलाव योग्यताओं में किसी भी बदलाव से अधिक वादकारियों के काम आ सकता है। एकसमान शर्तें मंच-दर-मंच मोलभाव खत्म करती हैं, पर विशेषज्ञता मिटनी नहीं चाहिए — 16 न्यायाधिकरणों में वेतन, पात्रता और जाँच के एक-से नियम सेवा को पूर्वानुमेय बनाते हैं। फिर भी कर न्यायाधिकरण और प्रतिभूति न्यायाधिकरण को भिन्न कौशल चाहिए, इसलिए विशेषज्ञ मूल्यांकन और लिखित अभ्यास ही तय करेंगे कि एकरूपता लाभ देगी या हानि।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत के न्यायाधिकरणों में कार्यपालिका के नियंत्रण और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच के तनाव को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग किस सीमा तक सुलझाता है? चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL)	निर्देश — किस सीमा तक — बताइए कि सुधार कहाँ तक जाता है और कहाँ रुक जाता है।

APPROACH TO THE MAINS QUESTION

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

2. भूमिका — 30 सितंबर के नियम आयोग को क्रियाशील बनाते हैं — 16 न्यायाधिकरणों और न्यायालय के निर्देश पर एक पंक्ति।
3. मुख्य भाग — चयन मंत्रालयों से हटकर न्यायिक नेतृत्व वाले निकाय के पास — मूल्य-वर्धन: एल. चंद्र कुमार (1997); आरेख: पुराना मार्ग (मंत्रालय चुनता है) और नया मार्ग (आयोग सिफारिश करता है, केंद्र तीन महीने में नियुक्त करता है) साथ-साथ।
4. मुख्य भाग — वित्त-पोषण और नियुक्ति की समय-सीमा अब भी कार्यपालिका के हाथ में — जब तक मंत्रालयों के पास बटुआ है, स्वतंत्रता अधूरी रहती है।
5. निष्कर्ष — सफलता को रिक्तियों और निपटान से मापिए — इसे वित्तीय स्वायत्तता से पूर्ण कीजिए।

प्रश्न 1. किसी न्यायाधिकरण को प्रायोजित करने वाले मंत्रालय के सचिव के रूप में आप कैसे दिखाएंगे कि नई व्यवस्था काम कर रही है?

दृष्टिकोण (Approach): मैं हर तिमाही स्वीकृत पद, रिक्तियाँ और हर चयन शुरू होने की तिथि प्रकाशित करूँगा, ताकि कोई भी छद्म महीने के नियम की जाँच कर सके। मैं न्यायाधिकरण के बजट को मंत्रालय के मुकदमेबाज़ी संबंधी कार्य से अलग रखूँगा ताकि दबाव का आभास भी न हो। और मैं लंबित मामलों पर नज़र रखूँगा, क्योंकि लक्ष्य नई प्रक्रिया नहीं, तेज़ न्याय है।

1.3 सर्वोच्च न्यायालय ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संसदीय समिति के साथ न्यायाधीशों की बैठक रद्द की

मुद्दा One Nation, One Election (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ होते थे। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक साथ चुनाव बहाल करने की सिफारिश की, और दिसंबर 2024 में पेश दो विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों और एक साथ चुनाव संबंधी संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 की जाँच कर रही संसद की संयुक्त समिति के बीच 6 अक्टूबर को प्रस्तावित बातचीत से इनकार कर दिया। उसके पत्र में कहा गया कि “चूँकि प्रस्तावित संशोधन न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय बन सकता है”, इसलिए प्रशासनिक पक्ष पर इस पर चर्चा करना “उचित या वांछनीय” नहीं होगा। निर्वाचन आयोग ने 28 सितंबर को विधायी विभाग के माध्यम से ईमेल द्वारा एक “अनौपचारिक बातचीत” यानी “स्थानीय अध्ययन भ्रमण” का अनुरोध किया था। कपिल सिब्बल ने इस योजना को “संविधान के साथ मज़ाक” कहा। पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय समिति चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की बात सुन चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर कहा कि यह योजना संवैधानिक कसौटी पर खरी उतर सकती है, पर इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यापक शक्तियों पर चिंता जताई। शक्तियों का पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य का हर अंग अपनी भूमिका में रहे।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने से 1967 के बाद एक साथ चुनाव समाप्त → कोविंद समिति उन्हें बहाल करने की सिफारिश करती है → दिसंबर 2024 में दो विधेयक 39 सदस्यीय JPC को जाते हैं → निर्वाचन आयोग कार्यरत न्यायाधीशों के साथ “स्थानीय अध्ययन भ्रमण” माँगता है → सर्वोच्च न्यायालय संभावित न्यायिक पुनर्विलोकन का हवाला देकर बैठक रद्द करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. दो विधेयक नए अनुच्छेद 82A के ज़रिये चुनावों को समकालिक करेंगे — संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 अनुच्छेद 82A प्रस्तावित करता है, जिसके अनुसार “नियत तिथि” के बाद निर्वाचित विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा, और यह अनुच्छेद 83, 172 और 327 को संशोधित करता है। संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 इसे विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों तक बढ़ाता है।
2. न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, और वह भी केवल अनुच्छेद 143 के माध्यम से — अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य का कोई प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है, जो उत्तर देने से मना भी कर सकता है। कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिससे कार्यरत न्यायाधीश लंबित विधेयक पर संसद को परामर्श दें। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. चुनाव सुधार अब शक्तियों के पृथक्करण से टकराता है — GS2 में “विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण” और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम शामिल हैं। एक साथ चुनाव दोनों को जोड़ते हैं, और यह प्रकरण न्यायिक संयम का ठोस उदाहरण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए नया अनुच्छेद 82A प्रस्तावित करता है।

	● अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को, न कि संसद को, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय मांगने का अधिकार देता है। ● अनुच्छेद 83(2) और 172(1) लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से पाँच वर्ष तय करते हैं, जब तक कि वे पहले भंग न कर दी जाएँ। ● अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत चाहिए।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — स्वतंत्रता और जवाबदेही: जो अदालत किसी कानून को परख सकती है, उसे उसे गढ़ने में मदद नहीं करनी चाहिए — यदि कार्यरत न्यायाधीश किसी विधेयक पर उसके रचनाकारों से चर्चा करें, तो ऐसा लग सकता है कि वे उस पर पहले ही राय बना चुके हैं, और बाद में कोई चुनौती देने वाला उनके हटने की माँग कर सकता है। इनकार करने से न्यायालय की स्वच्छ निर्णय करने की क्षमता सुरक्षित रहती है। विपरीत मत पुस्तकालय की यात्रा को हानिरहित बताता है। विवेकशील अधिकारी न्यायालय का पक्ष लेगा: इनकार से एक शिष्टाचार खोया जाता है, जबकि बैठक भविष्य के मूल ढाँचे संबंधी निर्णय पर भरोसा खो सकती थी। 2. अनुरोध उसी निकाय से आया जिसकी शक्तियाँ प्रश्नगत हैं — विधेयक के अंतर्गत नई शक्तियाँ पाने वाले निर्वाचन आयोग ने विधेयक की समिति और उन न्यायाधीशों के बीच बैठक चाही जो उसकी समीक्षा कर सकते हैं। इससे एक साथ तीन भूमिकाएँ धुँधली होती हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की आयोग की व्यापक शक्तियों संबंधी चेतावनी इस बात को और तीखा बनाती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश परामर्श दे सकते हैं; कार्यरत न्यायाधीश नहीं। 3. संघीय ढाँचे मतदान की तिथि पर नहीं, विधानसभाओं का कार्यकाल घटाने पर है — समकालिकता का अर्थ है कि कुछ विधानसभाएँ लोकसभा से मेल बैठाने के लिए पाँच वर्ष से कम चलेगी, इसलिए मतदाताओं को दिए गए जनादेश का एक हिस्सा चला जाता है। समर्थक खर्च का हवाला देते हैं; केरल कौमुदी के अनुसार पी.पी. चौधरी ने अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों का खर्च लगभग ₹7 लाख करोड़ प्रति वर्ष बताया। आलोचक जवाब देते हैं कि बार-बार चुनाव संघीय लोकतंत्र की कीमत हैं, इसलिए असली प्रश्न राज्यों की सहमति का है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	एक साथ चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति से मिलने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार शक्तियों के पृथक्करण की सही समझ को दर्शाता है। चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — चर्चा कीजिए — निर्णय को समझाइए, दोनों मत रखिए और निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — 6 अक्टूबर की बैठक इसलिए रद्द हुई कि संशोधन न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आ सकता है — 129वें संशोधन विधेयक और JPC का नाम लीजिए। 3. मुख्य भाग — न्यायाधीश कानूनों पर निर्णय देते हैं, उनका सह-प्रारूपण नहीं करते — अनुच्छेद 143 केवल राष्ट्रपति के माध्यम से चलता है; मूल्य-वर्धन: चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने गवाही दी, जो दिखाता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश परामर्श दे सकते हैं। 4. मुख्य भाग — बैठक से आगे चलकर हटने की याचिकाओं को न्योता मिलता — अनुच्छेद 82A को संभवतः मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जाएगा। 5. मुख्य भाग — विपरीत मत अंगों के बीच अनावश्यक दूरी देखता है — आरेख: विधायिका, निर्वाचन आयोग सहित कार्यपालिका और न्यायपालिका का त्रिभुज, जिसमें तीनों अनुरोध और इनकार को दिखाएँ। 6. निष्कर्ष — संवाद निर्णयों और प्रतिवेदनों में होना चाहिए, निजी बैठकों में नहीं — संयम अंततः होने वाली समीक्षा में भरोसा मज़बूत करता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. साक्षात्कार मंडल पूछता है: क्या न्यायाधीशों को लंबित विधायन पर विधि-निर्माताओं से कभी संवाद करना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): कार्यरत न्यायाधीशों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कानून की वैधता पर निर्णय देना पड़ सकता है और उन्हें खुले मन से उसके सामने आना चाहिए। विधि-निर्माता न्यायालय के विचार निर्णयों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जान सकते हैं, जैसा इस समिति ने किया। न्यायालय के बुनियादी ढाँचे पर सहयोग स्वागत योग्य है; किसी विधेयक की विषय-वस्तु पर नहीं।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की दोनों खबरें इस बात की हैं कि कार्रवाई से पहले राज्य (State) अर्थव्यवस्था को कितनी बारीकी से पढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में RBI की 38 अरब डॉलर की गिरावट संकट नहीं है; यह उस स्वैप का हिसाब है जिसे उसने जून में खुद रचा था, और असली मायने रखने वाला आँकड़ा सुखी की संख्या नहीं, बल्कि वायदा बही (forward book) है। MoSPI का अनौपचारिक उद्यमों का पहला ज़िला-स्तरीय नक्शा वास्तविक अर्थव्यवस्था के बारे में यही बात कहता है: एक राष्ट्रीय योजना मुर्शिदाबाद के बीड़ी बनाने वालों और रंगरेड्डी के जौहरियों, दोनों पर एक साथ फ़िट नहीं बैठ सकती।

2.1 तीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 38 अरब डॉलर गिरा, RBI अपनी वायदा बही का निपटान कर रहा है

मुद्दा Forex reserves and the rupee (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से RBI कमज़ोर होते रुपये को संभालने में भंडार ख़र्च करता रहा है। जून से उसने अनिवासी भारतीयों (NRI) के FCNR(B) जमा के लिए रियायती स्वैप खिड़की चलाई, जिससे सितंबर की शुरुआत में भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।

समाचार (THE NEWS) मुंबई/नई दिल्ली। 2 अक्टूबर को जारी RBI के आँकड़ों के अनुसार 25 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 18.343 अरब डॉलर घटकर 747.557 अरब डॉलर रह गया, जो लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट है; यह 4 सितंबर के रिकॉर्ड 785.71 अरब डॉलर से 38.15 अरब डॉलर नीचे है। द इंडियन एक्सप्रेस इस गिरावट को RBI द्वारा अपनी अल्पस्थिति (short) वायदा बही के निपटान से जोड़ता है, जो अगस्त के अंत में रिकॉर्ड 200 अरब डॉलर थी; “short” होने का अर्थ है कि RBI ने भविष्य की तारीख पर डिलीवरी के लिए डॉलर बेच रखे हैं। यह बही उस रियायती स्वैप से बढ़ी जिसके ज़रिये 8 जून से 31 अगस्त के बीच FCNR(B) जमा में 133 अरब डॉलर आए। द इकोनॉमिक टाइम्स इसमें रुपये की रक्षा और पुनर्मूल्यांकन को भी जोड़ता है। अलग से, अगस्त में सावधि जमा (FD) के बदले ऋण 43.2% उछलकर ₹2.04 लाख करोड़ हो गए, जिसका कारण विश्लेषक यह बताते हैं कि NRI FCNR(B) जमा के बदले नौ गुना तक उधार लेकर दोबारा जमा कर रहे हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

ईरान युद्ध से तेल का बिल बढ़ा और पोर्टफ़ोलियो पूँजी बाहर गई → मई में रुपया ₹96.83 प्रति डॉलर तक गिरा → RBI ने रियायती FCNR(B) स्वैप खोला और 133 अरब डॉलर आए → रिकॉर्ड 200 अरब डॉलर की short वायदा बही बन गई → अब वायदे परिपक्व हो रहे हैं और तीन सप्ताह में भंडार 38 अरब डॉलर घट गया।

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. भंडार के चार घटक होते हैं, जिन्हें RBI संभालता है — भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights, IMF की आरक्षित परिसंपत्ति) और IMF में आरक्षित किस्त की स्थिति (reserve tranche position) शामिल हैं। RBI इनका प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (Reserve Bank of India Act), 1934 के तहत करता है, जबकि विदेशी मुद्रा लेन-देन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 से नियंत्रित होते हैं, जिसने 1973 के आपराधिक प्रकृति वाले FERA की जगह ली।
2. FCNR(B) जमा में मुद्रा-जोखिम बैंक उठाते हैं; स्वैप उसे RBI को सौंप देता है — FCNR(B) जमा वह सावधि जमा है जिसे कोई NRI भारतीय बैंक में विदेशी मुद्रा में रखता है और जो उसी मुद्रा में लौटाई जाती है, इसलिए जमाकर्ता पर रुपये का कोई जोखिम नहीं रहता। स्वैप में बैंक वे डॉलर आज RBI को बेचता है और तय तारीख पर उन्हें वापस ख़रीदने का अनुबंध करता है; भविष्य में डिलीवरी का RBI का यही वचन उसकी वायदा बही है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. बाह्य क्षेत्र का प्रबंधन GS3 का स्थायी विषय है — यह “भारतीय अर्थव्यवस्था तथा संसाधनों के जुटाव, संवृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित मुद्दे” के अंतर्गत आता है। मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है कि भंडार सुरक्षा-कवच है या बोझ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और IMF में आरक्षित किस्त की स्थिति शामिल हैं।
- FEMA, 1999 ने FERA, 1973 की जगह ली और विदेशी मुद्रा संबंधी उल्लंघनों को आपराधिक के बजाय दीवानी अपराध बना दिया।
- FCNR(B) जमा में मूलधन और ब्याज विदेशी मुद्रा में लौटाए जाते हैं, इसलिए विनिमय-दर का जोखिम जमाकर्ता पर नहीं, बैंक पर रहता है।
- जिस केंद्रीय बैंक की वायदा स्थिति “short” है, उसने भविष्य की किसी तारीख पर डॉलर देने का अनुबंध कर रखा है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. यह गिरावट ज़्यादातर तय डिलीवरी है, घबराहट में की गई बिकवाली नहीं — रिकॉर्ड स्तर का एक हिस्सा उधार का था: RBI ने स्वैप में जो डॉलर लिए, उन्हें लौटाना है। वायदे परिपक्व होते हैं तो वे डॉलर बाहर चले जाते हैं और सुखी का आँकड़ा गिर जाता है, जबकि कुछ नया बिगड़ा नहीं है। एक महीने के भीतर परिपक्व होने वाले वायदों में RBI वास्तव में 12 अरब डॉलर का net long था। मारक क्षमता का ईमानदार पैमाना वायदा बही घटाकर निकाला गया भंडार है।

	2. Lens — अल्पकालिक राहत बनाम दीर्घकालिक सुधार: स्वैप आज शांति देता है और बिल बाद में थमा देता है — FCNR(B) जमा तीन से पाँच वर्ष के होते हैं, इसलिए short बही का ज्यादातर हिस्सा एक वर्ष बाद परिपक्व होता है, जिससे RBI की डॉलर देनदारी और उसका मुद्रा-जोखिम कई वर्ष आगे खिसक जाता है। प्रतिपक्ष का तर्क है कि भंडार युद्ध जैसे आघात के लिए होते हैं, और रुपये को अभी शांत करना मुद्रा पर धावे (currency run) से सस्ता पड़ता है। विवेकशील अधिकारी इसे एक पुल मानेगा और इस मोहलत का उपयोग तेल का बिल घटाने में करेगा। 3. एक सार्वजनिक रियायत निजी उधारी-आधारित सौदे में बदल गई है — स्वैप का उद्देश्य NRI से ताज़ा डॉलर आकर्षित करना था। फिर बैंकों ने जमाकर्ताओं को उनकी जमा के नौ गुना तक उधार दिया ताकि वे और FCNR(B) जमा कर सकें, इसलिए रियायत अब उधार के पैसों को पुरस्कृत कर रही है। ऐसी स्थितियाँ एक साथ टूट सकती हैं, अतः यह आवक दिखने में जितनी स्थिर लगती है, उतनी ही नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	RBI के FCNR(B) जमा के लिए रियायती स्वैप ने भंडार को मज़बूत किया, पर एक बड़ी वायदा देनदारी भी खड़ी कर दी। मुद्रा की अस्थिरता से निपटने के साधन के रूप में ऐसे हस्तक्षेपों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — लाभों को छिपी लागतों के सामने तौलिए और एक निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. प्रस्तावना — स्वैप में आए डॉलरों पर बना रिकॉर्ड — FCNR(B) स्वैप से 133 अरब डॉलर की आवक के बाद भंडार 4 सितंबर को 785.71 अरब डॉलर के शिखर पर पहुँचा, फिर तीन सप्ताह में 38 अरब डॉलर गिर गया। 3. स्वैप ने अपने भंडार खर्च किए बिना रुपये को सँभाला — युद्धकालीन पोर्टफोलियो निकासी के दौरान उसने मारक क्षमता का संकेत दिया। 4. पर सुखी का भंडार उपयोग-योग्य भंडार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है — मूल्य-वर्धन: 200 अरब डॉलर की short बही और जमा के बदले ऋण में 43.2% की उछाल; एक प्रवाह-चित्र बनाइए — NRI के डॉलर → बैंक → RBI स्वैप → अभी भंडार में वृद्धि → बाद में डिलीवरी → भंडार में गिरावट। 5. निष्कर्ष — एक पुल, आदत नहीं — शुद्ध भंडार को प्रमुखता से प्रकाशित कीजिए, रियायती जमा पर उधारी-लाभ की सीमा तय कीजिए और ऊर्जा आयात में विविधता लाइए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में क्या आप अभी FCNR(B) जमा के बदले बैंक ऋण पर अंकुश लगाएंगे? दृष्टिकोण (Approach): हाँ, पर केवल नई जमाओं के लिए। अचानक प्रतिबंध से NRI एक साथ अपनी उधारी-आधारित स्थितियाँ तोड़ने को मजबूर हो सकते हैं, जिससे उसी रुपये को चोट पहुँचेगी जिसे मैं बचा रहा हूँ। मैं रियायत पाने वाली जमाओं पर उधारी की सीमा तय करूँगा और मौजूदा स्थितियों को अपने आप समाप्त होने दूँगा।

2.2 पहले ज़िला-स्तरीय ASUSE अनुमान: अनौपचारिक उद्यम कुछ जगहों पर जमे हुए, उत्पादकता में भारी अंतर

मुद्दा नया आधार वर्ष: GDP और IIP (कडी 4) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी MoSPI भारत के आँकड़ों का ढाँचा नए सिरे से गढ़ रहा है: 2022-23 आधार वर्ष वाली नई GDP शृंखला, विनिर्माण में दोहुरा अपस्फीतिकरण (double deflation) और औद्योगिक उत्पादन का नया आधार। आज यह प्रयास अनौपचारिक क्षेत्र तक, ज़िला-दर-ज़िला, पहुँच गया है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। MoSPI के उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग के दो अधिकारी, सौम्या चक्रवर्ती और सोनाख्या समद्वार, 3 अक्टूबर को द इकोनॉमिक टाइम्स में लिखते हैं कि असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2025 ने अनौपचारिक कारोबारों के भारत के पहले ज़िला-स्तरीय अनुमान तैयार किए हैं; ये वे फ़र्म हैं जो कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और ज्यादातर छोटी दुकानें व कार्यशालाएँ हैं। शीर्ष 10 ज़िलों में लगभग 10% प्रतिष्ठान हैं, जिनमें छह पश्चिम बंगाल के हैं। 950 से अधिक गतिविधियों में से केवल 10 में 39% इकाइयाँ हैं, पर सकल मूल्य वर्धन (GVA) में उनका हिस्सा सिर्फ़ 21% है। प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धन मुर्शिदाबाद में ₹1,00,443 है, जहाँ तीन गतिविधियाँ लगभग आधे कार्यबल को रोज़गार देती हैं, और रंगरेड्डी में ₹2,72,216, जबकि राष्ट्रीय औसत ₹1.56 लाख है। स्थान-भागफल (location quotient), यानी किसी गतिविधि में स्थानीय रोज़गार का हिस्सा भाग उसी का राष्ट्रीय हिस्सा, मुर्शिदाबाद में बीडी और हावड़ा में ज़री जैसे समूहों (clusters) की पहचान कराता है। लेखक एकसमान योजनाओं के बजाय ज़िला-विशिष्ट नीति की पैरवी करते हैं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनौपचारिक क्षेत्र केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मापा जाता था → नीति एकसमान ऋण योजनाओं पर टिकी रही → ASUSE 2025 ने ज़िला-स्तरीय अनुमान दिए → समूह और लगभग तीन गुने उत्पादकता-अंतर उभरे → ज़िले के अनुरूप सहायता का तर्क बना

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. ASUSE राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का असंगठित अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण है — इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) संचालित करता है। यह उन गैर-कृषि उद्यमों को समेटता है जो कंपनी के रूप में निगमित नहीं हैं, और इन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2008 के अनुसार बाँटा जाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) श्रमिकों की गिनती करता है; ASUSE उद्यमों की गिनती करता है। 2. MSME की परिभाषा निवेश और टर्नओवर से तय होती है — MSME अधिनियम, 2006 में केवल निवेश का आधार था; 2020 की अधिसूचना ने टर्नओवर जोड़ा और विनिर्माण व सेवाओं को एक कर दिया। अप्रैल 2025 से सीमाएँ बढ़ाई गईं, इसलिए अब सूक्ष्म उद्यम ₹2.5 करोड़ तक निवेश कर सकता है और उसका टर्नओवर ₹10 करोड़ तक हो सकता है। उद्यम पंजीकरण किसी अनौपचारिक इकाई को MSME के दायरे में ले आता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. अनौपचारिकता GS3 का बार-बार आने वाला प्रश्न है — यह “समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे” के अंतर्गत आता है। ज़िला-स्तरीय आँकड़े औपचारिकीकरण पर उत्तर को नारों से उठाकर साक्ष्य तक ले आते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● ASUSE का संचालन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ● एक से अधिक स्थान-भागफल दर्शाता है कि कोई क्षेत्र किसी गतिविधि में अपेक्षाकृत विशिष्टीकृत है। ● PMEGP MSME मंत्रालय की ऋण-संबद्ध मार्जिन मनी सव्सिडी योजना है, जिसकी राष्ट्रीय नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. Lens — संवृद्धि और समता: संकेंद्रण तभी लाभकारी है जब समूह मूल्य शृंखला में ऊपर चढ़े — जहाँ एक ही शिल्प हावी है, जैसे मुर्शिदाबाद में बीड़ी, वहाँ श्रमिकों के पास विकल्प कम होते हैं और कमाई नीची रहती है। रंगारेड्डी दिखाता है कि बाज़ार से जुड़ा संकेंद्रण ऊँचे मूल्य का भी हो सकता है। समता का कार्य है कौशल और बाज़ार-संपर्क के ज़रिये कम-मूल्य वाले समूहों को ऊपर उठाना, ऋण को पतला-पतला बाँट देना नहीं। 2. एकसमान योजनाएँ उस विविधता को चूक जाती हैं जो आँकड़े उजागर करते हैं — ET के अनुसार सरकार PMEGP को 2030-31 तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें लगभग ₹15,000 करोड़ और बिना गारंटी वाले ऋण होंगे; इस योजना से सृजित रोज़गार FY22 के 9.29 लाख से घटकर FY26 में 5.98 लाख रह गए। विस्तार को ASUSE के ज़िला-आँकड़ों से लक्षित करने पर वह पुराने ढाँचे की पुनरावृत्ति के बजाय नए आँकड़ों की परीक्षा बन जाएगा। 3. ज़िला-आँकड़े ज़िला-योजना को योजना बनाने का आधार देते हैं — अनुच्छेद 243ZD ज़िला योजना समिति (District Planning Committee) का प्रावधान करता है, पर ऐसी समितियों के पास उद्यमों के आँकड़े बहुत कम रहे हैं। सावधानी यह है कि प्रतिदर्श-आधारित ज़िला अनुमानों में त्रुटि-सीमा अधिक होती है, इसलिए उनसे प्राथमिकताएँ तय होनी चाहिए, ज़िलों की सटीक रैंकिंग नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	असंगठित उद्यमों पर ज़िला-स्तरीय आँकड़े भारत के अनौपचारिक क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने वाली नीतियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — स्पष्ट कीजिए — उदाहरणों सहित दिखाइए कि आँकड़े नीति-निर्माण को कैसे बदलते हैं। 2. प्रस्तावना — अनौपचारिक उद्यमों का पहला ज़िला-स्तरीय नक्शा — ASUSE 2025 पहली बार ज़िला-स्तरीय अनुमान देता है। 3. विशिष्टीकृत समूहों को क्षेत्र-विशिष्ट सहायता चाहिए — मूल्य-वर्धन: प्रति श्रमिक GVA मुर्शिदाबाद में ₹1,00,443 बनाम रंगारेड्डी में ₹2,72,216। 4. विविधीकृत ज़िलों को लचीला वित्त चाहिए — दो स्तंभों वाला चार्ट बनाइए: विशिष्टीकृत बनाम विविधीकृत ज़िला, और उनके अनुरूप हस्तक्षेप। 5. निष्कर्ष — योजना का धन मापे गए अंतरालों के पीछे चले — PMEGP जैसी योजनाओं को ज़िला योजनाओं से जोड़िए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. एक ऐसे ज़िले के ज़िलाधिकारी (DM) के रूप में, जहाँ एक कम-मज़दूरी वाला शिल्प हावी है, आप ASUSE के आँकड़ों का उपयोग कैसे करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं उस शिल्प की मूल्य शृंखला का नक्शा बनाऊँगा ताकि पता चले कि मुनाफ़ा कहाँ बिचौलियों के हाथ रिसता है। मैं PMEGP और बैंक ऋण को उन इकाइयों की ओर मोड़ूँगा जो शृंखला में ऊपर बढ़ती हैं, जैसे फ़िनिशिंग और सीधी बिक्री, और कारीगरों को खरीदारों से जोड़ूँगा। सफलता का मतलब प्रति श्रमिक GVA का बढ़ना है, ज़्यादा ऋण स्वीकृत होना नहीं।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

भारतीय कृषि में काम अब ज्यादा महिलाएँ करती हैं, पर स्वामित्व अब भी पुरुषों के पास है, और सूखा इस खाई को किसी भी सर्वेक्षण से जल्दी उघाड़ देता है। महाराष्ट्र के महिला किसान प्रमाणपत्र इस नियम से सचमुच एक विराम हैं कि केवल भूमि का स्वामित्व-पत्र ही किसान बनाता है; पर जो राहत पानी देने, खोई मज़दूरी और छोटे ऋणों की अनदेखी करेगी, वह प्रमाणपत्र को कागज़ी सम्मान भर बनाकर छोड़ देगी।

3.1 सूखे में महिला मज़दूरों पर पानी और ऋज का बोझ बढ़ा, महाराष्ट्र ने महिला किसान प्रमाणपत्र देना शुरू किया

सूदा Women in agriculture (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता • परंपरा और सामाजिक न्याय

अब तक की कहानी जुलाई में महाराष्ट्र ने महिला किसान सशक्तीकरण अधिनियम, 2026 (Women Farmers Empowerment Act, 2026) बनाया, जो भूमिहीन महिला मज़दूरों को किसान के रूप में मान्यता देता है। 26 सितंबर को उसने 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया, और गन्ना काटने वाले मज़दूर ठेकेदारों के ऋज में डूबे हुए जल्दी लौट गए।

समाचार (THE NEWS) जालना, बीड और धाराशिव, महाराष्ट्र। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राज्य ने 2 अक्टूबर से महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तीकरण अधिनियम, 2026 के तहत महिला किसान प्रमाणपत्र जारी करना शुरू किया है और उसका कहना है कि 20 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। यह कानून भूमि के स्वामित्व-पत्र की शर्त हटाता है और महिला खेतिहर मज़दूरों तथा पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट-पालन में लगी महिलाओं को योजनाओं और ऋण तक पहुँच के लिए किसान के रूप में मान्यता देता है। ये प्रमाणपत्र ऐसे सूखे में आ रहे हैं जिसे मुख्यमंत्री 1972 के बाद का सबसे भीषण बताते हैं, फिर भी अब तक की राहत, यानी भू-राजस्व माफ़ी और फ़सल-ऋण का पुनर्गठन, में महिला मज़दूरों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 के अनुसार राज्य के ग्रामीण महिला कार्यबल का 82% कृषि में है, पर एक-पाँचवें से कम परिचालित जोतें महिलाओं के नाम पर हैं। मराठवाड़ा में पानी देने की कीमत अब परिवारों को एक दिन की मज़दूरी चुकाकर देनी पड़ती है; लगभग ₹300 प्रतिदिन कमाने वाली एक मज़दूर साहूकार, सूक्ष्म-वित्त (microfinance) और MUDRA ऋणों पर हर महीने ₹6,000 चुकाती है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पुरुष ग़ैर-कृषि काम की ओर जाते हैं जबकि महिलाएँ ज़मीन पर टिकी रहती हैं → खेती का ज्यादातर काम महिलाएँ करती हैं पर एक-पाँचवें से कम जोतें उनकी हैं → स्वामित्व-पत्र से बंधी योजनाएँ उन्हें छोड़ देती हैं → जुलाई 2026 का कानून बिना स्वामित्व-पत्र के उन्हें मान्यता देता है → प्रमाणपत्र शुरू होते ही सूखा पानी देने और ऋज का बोझ जोड़ देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. कृषि का नारीकरण यानी काम ज्यादा, स्वामित्व नहीं — यह कृषि कार्यबल में महिलाओं के बढ़ते हिस्से को कहते हैं, जो तब होता है जब पुरुष ग़ैर-कृषि रोज़गार की ओर चले जाते हैं। महिलाओं का स्वामित्व इस रफ़्तार से नहीं बढ़ा: हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम (Hindu Succession (Amendment) Act), 2005 ने बेटियों को कृषि भूमि सहित सहदायिकी (coparcenary) के समान अधिकार दिए, पर व्यवहार में हस्तांतरण अब भी बेटों के नाम पर ही होते हैं। 2. PM-KISAN और MKSP दो रास्ते दिखाते हैं: स्वामित्व-पत्र और काम — PM-KISAN राज्यों के भू-अभिलेखों से चिह्नित भूमिधारक किसान परिवारों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 देती है, इसलिए भूमिहीन मज़दूर उसके दायरे से बाहर हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का एक उप-घटक, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana), इसके उलट स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये महिला किसानों की उत्पादकता और भागीदारी बढ़ाने में सहायता करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. लैंगिक प्रश्न और कृषि संकट GS1 और GS3 में मिलते हैं — GS1 में “महिलाओं की भूमिका” और GS3 में “प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी से जुड़े मुद्दे” पूछे जाते हैं। कृषि का नारीकरण और महिलाओं के भू-अधिकार बार-बार आने वाले विषय हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का संचालन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ● PM-KISAN की प्रति वर्ष ₹6,000 की आय-सहायता भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में दी जाती है। ● महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उप-घटक है। ● हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने बेटियों को हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटों के समान अधिकार वाला सहदायिक (coparcener) बनाया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. प्रमाणपत्र एक दरवाज़ा है; उसके पीछे क्या है, यह उसकी कीमत तय करता है — बीस लाख आवेदन मान्यता की माँग दिखाते हैं। पर प्रमाणपत्र से लाभ तभी मिलता है जब योजनाएँ उसे स्वीकार करें, और PM-KISAN जैसी केंद्रीय योजनाएँ अब भी भू-अभिलेख माँगती हैं। जब तक

	बैंक, बीमा कंपनियाँ और राहत अधिकारी उसे खेती के प्रमाण के रूप में नहीं मानते, वह ऐसी पहचान है जिससे कुछ जुड़ा नहीं। 2. मालिकों के लिए गद्दी गई सूखा-राहत उन लागतों को चूक जाती है जो महिलाएँ उठाती हैं — राजस्व माफ़ी और ऋण पुनर्गठन से उन मालिकों को मदद मिलती है जो बैंकों से उधार लेते हैं। महिला मज़दूरों का नुकसान समय के रूप में होता है: पानी ढोना कमाई वाले काम की जगह ले लेता है, और जैसा एक परिवार ने कहा, इसकी कीमत एक व्यक्ति की मज़दूरी है। उनका ऋण साहूकारों, सूक्ष्म-वित्त कंपनियों और स्वयं सहायता समूहों के छोटे ऋण हैं, जिन्हें फ़सल-ऋण माफ़ी कभी छूती ही नहीं। 3. Lens — परंपरा और सामाजिक न्याय: प्रथा के मालिक को मानने से पहले क़ानून काम करने वाले को मान सकता है — रिवाज़ से ज़मीन बेटों के ज़रिये आगे जाती है, इसलिए “किसान” की स्वामित्व-पत्र पर आधारित परिभाषा उसी रिवाज़ को चुपचाप सार्वजनिक नीति में दोहरा देती है। महाराष्ट्र का क़ानून स्वामित्व के बजाय काम को मान्यता देकर उत्तराधिकार की लड़ाई को किनारे कर देता है; यह तेज़ है, पर संपत्ति की खाई को ज़स का तस छोड़ देता है। विचारशील अधिकारी तत्काल पहुँच के लिए प्रमाणपत्र का उपयोग करेगा और साथ ही नामांतरण (mutation) तथा भू-अभिलेख अभियानों में संयुक्त स्वामित्व-पत्रों को आगे बढ़ाएगा, ताकि मान्यता और स्वामित्व साथ-साथ चलें।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत का खेती का बहुत-सा काम महिलाएँ करती हैं, पर उसकी खेती-योग्य ज़मीन की मालिक बहुत कम हैं। महाराष्ट्र के महिला किसान प्रमाणपत्रों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि यह खाई सूखे के दौरान उनकी संवेदनशीलता को कैसे आकार देती है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — खाई के प्रभावों की जाँच कीजिए और प्रमाणपत्र को एक उपाय के रूप में परखिए। 2. प्रस्तावना — स्वामित्व-पत्र के बिना काम — PLFS 2025: महाराष्ट्र में 82% ग्रामीण कामकाजी महिलाएँ कृषि में हैं; एक-पाँचवें से कम जोते उनकी हैं। 3. स्वामित्व-पत्र से जुड़ी योजनाएँ महिलाओं को ठीक तब बाहर कर देती हैं जब उन्हें मदद चाहिए — PM-KISAN, फ़सल-ऋण और माफ़ियाँ भू-अभिलेखों के पीछे चलती हैं; मूल्य-वर्धन — 265 सूखा-प्रभावित तालुकों की राहत में महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। 4. सूखा अवैतनिक पानी ढोने का काम और छोटे ऋणों का ऋण जोड़ देता है — एक प्रवाह-चित्र बनाइए: सूखा → पानी की कमी → महिलाओं का पानी ढोना → खोई मज़दूरी → साहूकार और सूक्ष्म-वित्त ऋण → ऋण का चक्र। 5. निष्कर्ष — पहले काम को मान्यता दीजिए, फिर स्वामित्व-पत्र सुरक्षित कीजिए — प्रमाणपत्रों को राहत और ऋण से जोड़िए, और अभिलेख अभियानों के ज़रिये संयुक्त भू-स्वामित्व-पत्र आगे बढ़ाइए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. बीड के कलेक्टर के रूप में आप सूखा-राहत को महिला खेतिहर मज़दूरों तक कैसे पहुँचाएंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं ग्राम सभाओं से प्रमाणपत्रधारकों और भूमिहीन महिलाओं की सूची बनवाऊँगा और उन्हें घर के पास राहत कार्यों के लिए पात्र बनाऊँगा, ताकि पानी ढोने में उनकी दिन की मज़दूरी न जाए। मैं सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के साथ शिविर भी लगाऊँगा, ताकि वे छोटे ऋण दोबारा तय हो सकें जिन्हें फ़सल-ऋण पुनर्गठन नहीं पकड़ता।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

आज की तीनों खबरें विकल्पों की हैं, और इस बात की कि उन पर किसका नियंत्रण है। यूक्रेन पर चार वर्ष तक “दोनों नावों पर सवार” कहे जाने के बाद भारत को शांति की मेज़ पर जगह मिली है, क्योंकि उसने दोनों पक्षों से बातचीत बनाए रखी। व्यापार और तेल में लगाम वाशिंगटन के हाथ में है, और भारत का जवाब अवज्ञा नहीं, बल्कि अधिक विकल्प हैं: बहस के लिए WTO के नियम, और खाड़ी का तेल, जिससे रूसी कच्चा तेल निर्भरता नहीं, बल्कि पसंद बन जाता है।

4.1 यूक्रेन ने भारत के शांति प्रस्ताव को मेज़ पर मौजूद चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया

सूदा Russia-Ukraine war and India (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी रूस ने फ़रवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया। भारत ने मॉस्को की निंदा नहीं की, उसका तेल ख़रीदना जारी रखा और संवाद की अपील की; मोदी ने 2022 में पुतिन से कहा था “यह युद्ध का युग नहीं है”, और 31 अगस्त को विश्वेक में “युद्ध समाप्त हो” का आयोजन किया।

समाचार (THE NEWS) कीव और नई दिल्ली, 2 अक्टूबर। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने युद्ध समाप्त करने के लिए “व्यापक” प्रस्ताव रखा है, जो फ़रवरी 2022 के बाद उसका पहला प्रस्ताव है, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार। उन्होंने कहा, “हमारे पास चार प्रस्ताव हैं। इनमें सबसे व्यापक भारत का प्रस्ताव है। पहली बार भारत ने भूमिका निभाने की इच्छा के संकेत दिए हैं।” बाक़ी प्रस्ताव तुर्किये, मिस्र और अमेरिका के हैं। किसी भी अख़बार ने यह नहीं बताया कि भारत के प्रस्ताव में क्या है। कीव युद्धविराम तभी मानेगा जब वह लड़ाई, ऊर्जा और बंदरगाह ढाँचे पर हमलों, तथा काला सागर, इन सबको “इसी संयोजन में” समेटे, और वह संपर्क रेखा, यानी वर्तमान अग्रिम मोर्चे, के साथ बिना शर्त युद्धविराम पर भी विचार कर रहा है। ब्लादिमीर पुतिन ने रूस के विदेश-नीति मंच वल्टाई चर्चा क्लब में कहा कि श्री मोदी “तटस्थ रख सकते हैं, पर संघर्ष के अंत में उनकी रुचि है”।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

रूस 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करता है → भारत संयुक्त राष्ट्र में मतदान से अनुपस्थित रहता है और मॉस्को से संबंध बनाए रखता है → युद्ध ऊर्जा, बंदरगाहों और काला सागर की नौवहन-व्यवस्था की ओर खिसक जाता है → तुर्किये, मिस्र और अमेरिका आंशिक युद्धविराम सुझाते हैं → भारत प्रस्ताव रखता है, जिसे कीव सबसे व्यापक कहता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	- संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध बल-प्रयोग को वर्जित करता है और शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता बताता है — अनुच्छेद 2(4) के अनुसार सदस्य किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल की धमकी या बल-प्रयोग से परहेज़ करेंगे। अनुच्छेद 33 विवाद के पक्षकारों से कहता है कि वे समाधान पहले वार्ता, जाँच, मध्यस्थता (mediation), सुलह (conciliation), पंचाट (arbitration) या न्यायिक निपटारे से खोजें। जब वीटो के कारण सुरक्षा परिषद अटक जाती है, तब महासभा 1950 के “शांति के लिए एकजुटता” (Uniting for Peace) प्रस्ताव के तहत कार्रवाई कर सकती है। - भारत यूक्रेन पर प्रस्तावों में अनुपस्थित रहा है और इसे रणनीतिक स्वायत्तता कहता है — 2022 में भारत सुरक्षा परिषद के उस मसौदे पर अनुपस्थित रहा जिसमें आक्रमण पर खेद जताया गया था और जिस रूस ने वीटो कर दिया, और महासभा के आपात विशेष सत्र के प्रस्ताव पर भी; तब से वह प्रायः अनुपस्थित ही रहा है, साथ ही क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करता रहा है। रणनीतिक स्वायत्तता, जो गुटनिरपेक्षता की उत्तराधिकारी है, का अर्थ है हर मुद्दे पर किसी गुट में शामिल होने के बजाय राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय लेना।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	GS2 पूछता है कि दूसरे देशों के झगड़े भारत को कैसे छूते हैं — पाठ्यक्रम की पंक्ति है “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव”। भारत की तटस्थता सैद्धांतिक है या सुविधाजनक, यह मुख्य परीक्षा का स्वाभाविक प्रश्न है; यह ख़बर दोनों राजधानियों से आधिकारिक प्रमाण देती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल की धमकी या बल-प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। - संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 33 वार्ता, जाँच, मध्यस्थता, सुलह, पंचाट और न्यायिक निपटारे को विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के साधनों के रूप में गिनाता है। “शांति के लिए एकजुटता” प्रस्ताव (महासभा प्रस्ताव 377, 1950) महासभा को तब कार्रवाई करने देता है जब स्थायी सदस्यों में एकमत न होने के कारण सुरक्षा परिषद विफल हो जाती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	दृष्टि — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: भारत की तटस्थता अब उसकी देनदारी नहीं, उसकी साख बन गई है — पश्चिमी राजधानियाँ भारत के मतदान से अनुपस्थित रहने को लंबे समय तक दोनों नावों पर सवार रहना मानती रहीं। अब कीव भारत की योजना को सबसे व्यापक कहता है, जबकि श्री पुतिन श्री मोदी को तटस्थ बताते हैं। जिस देश ने रूस पर प्रतिबंध लगाए

	होते या यूक्रेन को हथियार दिए होते, वह दोनों को साथ नहीं जीत सकता था; इसलिए स्वायत्तता ही इस भूमिका को संभव बनाती है। विवेकपूर्ण निर्णय यही है कि भारत सुविधाकर्ता बना रहे, गारंटीकर्ता नहीं, क्योंकि गारंटी के साथ सुरक्षा-दायित्व आते हैं जिन्हें भारत लागू नहीं करा सकता। 2. कीव की प्रशंसा भारत को यूक्रेन की शर्तों से बाँधने का प्रयास भी है — यूक्रेन चाहता है कि कोई भी युद्धविराम लड़ाई, ऊर्जा, बंदरगाह और काला सागर, सबको एक साथ समेटे, और भारत की योजना को सबसे व्यापक बनाना भारत को आमंत्रित करता है कि वह यह पूरा पैकेज माँस्को तक ले जाए। चूँकि योजना सार्वजनिक नहीं है, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि वह किसकी शर्तों से मेल खाती है। प्रतिपक्ष का तर्क यह है कि व्यापकता ही उसकी ताकत है: बाक़ी प्रस्ताव युद्ध के केवल एक-एक हिस्से को छूते हैं। 3. शांति में भारत का दाँव नैतिक होने के साथ आर्थिक भी है — इसी युद्ध के कारण अमेरिका का वह नया कानून है जो रूसी तेल के खरीदारों पर 100% तक शुल्क की धमकी देता है, और इस सूची में भारत चीन के साथ शीर्ष पर है। समझौता इस दबाव को घटाएगा और काला सागर के उन मार्गों को शांत करेगा जिनसे विश्व के खाद्य मूल्य तय होते हैं। जोखिम यह है कि नतीजों के बिना प्रशंसा से भारत को बहुत कम मिलता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत की तटस्थता कूटनीतिक देनदारी से संपत्ति में बदल गई है।” भारत के कथित शांति प्रस्ताव के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — कथन के पक्ष और विपक्ष के प्रमाणों को तौलित और निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. भूमिका — दोनों युद्धरत पक्षों ने एक ही दिन भारत की प्रशंसा की — कीव का “सबसे व्यापक”, माँस्को का “तटस्थ रुख”। 3. तटस्थता ने वे संवाद-मार्ग खुले रखे जिन्हें प्रतिबंध बंद कर देते — मतदान से अनुपस्थिति, स्थिर संबंध; मूल्यवर्धन के रूप में अनुच्छेद 33 के शांतिपूर्ण साधन। 4. वर्षों तक यह देनदारी थी, और प्रस्ताव अभी परखा नहीं गया है — 2022 से पश्चिमी आलोचना; योजना की विषय-वस्तु सार्वजनिक नहीं है। 5. मध्यस्थता भारत के अपने हित की पूर्ति करती है — तेल-शुल्क की धमकी; प्रवाह-चित्र: अनुपस्थिति → खुले संवाद-मार्ग → प्रस्ताव → युद्धविराम। 6. निष्कर्ष — सुविधा दीजिए, गारंटी नहीं — तटस्थता तभी संपत्ति बनी रहेगी जब वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों में टिकी हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को रूस और यूक्रेन के बीच औपचारिक मध्यस्थ बनने की पेशकश करनी चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): भारत को औपचारिक मध्यस्थता के बजाय सुविधा-प्रदाता बनना चाहिए। औपचारिक मध्यस्थता वार्ता टूटने पर दोष को आमंत्रित करती है और भारत को युद्धविराम की गारंटी देने में खिंच सकती है। संदेश पहुँचाना और विचार सुझाना दोनों राजधानियों तक भारत की पहुँच का कम जोखिम पर उपयोग है, बशर्ते वह खुले तौर पर क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण समाधान पर टिका हो।

4.2 अमेरिका के बंधुआ-श्रम शुल्क की मार के बीच गोयल ने G20 में “अतिरिक्त क्षमता” का आरोप खारिज किया

मुद्दा India-US trade deal and tariffs (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी भारत और अमेरिका ने फ़रवरी 2026 में व्यापार समझौते का ढाँचा तय किया था, पर हस्ताक्षर अटके हुए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन धारा 301 की जाँचें चला रहा है और उसने रूसी तेल के खरीदारों पर 100% शुल्क की अनुमति देने वाला कानून बना दिया है।

समाचार (THE NEWS) मिल्वौकी, 2 अक्टूबर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2026 की अमेरिकी अध्यक्षता में हुई G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में कहा कि अध्यक्षता द्वारा चिह्नित क्षेत्रों में भारत के पास कोई “संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता” नहीं है, और क्षमता अपने आप में डंपिंग का कारण नहीं बनती; छिपी हुई सब्सिडियाँ बनती हैं। 23 सितंबर के कार्ड के बाद नई बात अमेरिकी तंत्र की है: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध धारा 301 की दो जाँचें शुरू की हैं, एक बंधुआ श्रम पर, जिसके कारण भारतीय माल पर 10% शुल्क लग चुका है, और दूसरी इस्पात, वस्त्र, एल्युमीनियम, ऑटो और अर्धचालकों में अतिरिक्त क्षमता पर, जिसका नतीजा आना बाक़ी है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने ILO अभिसमय 29 और 105 का अनुसमर्थन किया है और जुलाई में बंधुआ श्रम से बने आयात पर प्रतिबंध लगाया है, और सीमा-उपायों के लिए “विशिष्ट और सत्यापन-योग्य प्रमाण” तथा WTO के अनुपालन की आवश्यकता है। USTR जेमिसन ग्रीयर ने कहा कि समझौता “अंतिम चरणों” में है पर “आसन्न नहीं” (द इंडियन एक्सप्रेस)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

फरवरी 2026 का डाँचा → 60 अर्थव्यवस्थाओं की धारा 301 जाँचें → भारत पर 10% बंधुआ-श्रम शुल्क → ग्राहम अधिनियम 100% रूसी-तेल शुल्क की धमकी देता है → समझौते के अटकने के बीच भारत WTO और ILO के आधार पर बचाव करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. धारा 301 अमेरिका का एकतरफ़ा औज़ार है; GATT का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र नियम और उसके अपवाद बहुपक्षीय सीमा हैं — अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 (US Trade Act of 1974) की धारा 301 USTR को उन विदेशी व्यवहारों की जाँच करने देती है जो अनुचित, अयुक्तिसंगत या भेदभावपूर्ण हों और अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालते हों, और शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई करने देती है। GATT का अनुच्छेद I सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) व्यवहार माँगता है, इसलिए किसी देश-विशेष पर शुल्क को किसी अपवाद में बैठना होगा: अनुच्छेद XX, जिसमें जेल-श्रम से बने उत्पादों पर XX(e) शामिल है, या राष्ट्रीय सुरक्षा पर अनुच्छेद XXI। 2. बंधुआ श्रम की परिभाषा ILO अभिसमय देते हैं और अनुच्छेद 23 उसे प्रतिबंधित करता है — ILO का बलात् श्रम अभिसमय, 1930 (सं. 29) बलात् श्रम को ऐसे काम के रूप में परिभाषित करता है जो दंड की धमकी से कराया जाए और स्वेच्छा से प्रस्तावित न हो; बलात् श्रम उन्मूलन अभिसमय, 1957 (सं. 105) दबाव या श्रम-अनुशासन के लिए उसके प्रयोग पर रोक लगाता है। दोनों बुनियादी अभिसमय हैं। अनुच्छेद 23 मानव-व्यापार, बेगार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, और निजी व्यक्तियों पर भी बाध्यकारी है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 उन समझौतों की परीक्षा लेता है जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं — पाठ्यक्रम की पंक्ति है “भारत और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते”। एकतरफ़ा शुल्क बनाम WTO की नियम-पुस्तिका, और व्यापार की शर्त के रूप में श्रम-मानक, बार-बार आने वाले विषय हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 का प्रशासन संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय करता है। ● GATT के अनुच्छेद I में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दायित्व है; अनुच्छेद XX(e) जेल-श्रम से बने उत्पादों को और अनुच्छेद XXI सुरक्षा-अपवाद को समेटता है। ● बलात् श्रम पर ILO अभिसमय सं. 29 (1930) और सं. 105 (1957) बुनियादी अभिसमय हैं, और भारत ने दोनों का अनुसमर्थन किया है। ● WTO का अपीलीय निकाय दिसंबर 2019 से निष्क्रिय है, क्योंकि अमेरिका ने नियुक्तियाँ रोक रखी हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: द्विपक्षीय दबाव-क्षमता न होने के कारण भारत WTO नियमों के आधार पर तर्क देता है — वॉशिंगटन तीन औज़ारों से दबाव बना रहा है: बंधुआ-श्रम शुल्क, अतिरिक्त अतिरिक्त-क्षमता निर्णय और ग्राहम अधिनियम, जिसके शुल्कों को, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए IEEPA शुल्कों के विपरीत, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत प्रमाणों और ILO का सहारा इसलिए लेता है कि वही एकमात्र तटस्थ ज़मीन है, फिर भी अपीलीय निकाय के पंगु होने से वे अमेरिका को बाँध नहीं सकते। विवेकपूर्ण निर्णय यह है कि शुल्कों का निपटारा द्विपक्षीय रूप से किया जाए, पर “आर्थिक सुरक्षा संरक्षण” की उन धाराओं से इनकार किया जाए जिनके बारे में एक विशेषज्ञ का कहना है कि वे संप्रभुता को सीमित करेंगी। 2. भारत ने सिद्धांत मान लिया है और अब विवाद इस पर है कि प्रमाण कौन परखेगा — बंधुआ-श्रम आयात पर स्वयं प्रतिबंध लगाकर भारत ने स्वीकार किया कि श्रम-मानकों की निगरानी सीमा पर की जा सकती है। उसका झगड़ा उस साझेदार से है जो त्रिपक्षीय ILO के बजाय स्वयं अभियोजक और न्यायाधीश बन बैठा है, और यह WTO की “सामाजिक धारा” का छिपे संरक्षणवाद कहकर विरोध करने की भारत की पुरानी नीति की प्रतिध्वनि है। 3. असली मुकाबला सापेक्ष शुल्कों का है — अमेरिका के शीर्ष साझेदार 10-15% की श्रेणी में हैं और भारत ASEAN और चीन से बेहतर दरें चाहता है (द इंडियन एक्सप्रेस)। अतिरिक्त-क्षमता शुल्क यह बढ़त मिटा देगा, इसीलिए श्री गौयल की क्षमता और सॉब्सिडी के बीच की रेखा। जवाबी जोखिम भारत की अपनी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ हैं, जिनका हवाला वॉशिंगटन दे सकता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	परीक्षण कीजिए कि क्या WTO-अनुरूप, प्रमाण-आधारित व्यापार उपायों पर भारत का आग्रह उसके निर्यात को धारा 301 जैसी कार्रवाइयों के एकतरफ़ा शुल्कों से बचा सकता है। (10 अंक, 150 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — दिखाइए कि यह दृष्टिकोण कहाँ काम करता है और कहाँ विफल होता है।
2. भूमिका — 10% शुल्क और दो जाँचें भारत की परीक्षा लेती हैं — श्री गोयल का G20 में रुख, अटका हुआ समझौता।
3. नियम भारत को वैधता और सहयोगी देते हैं — MFN, अनुच्छेद XX, ILO की क्षमता; मूल्यवर्धन के रूप में भारत का अपना जुलाई का आयात-प्रतिबंध।
4. अपीलीय निकाय के बिना नियम अमेरिका को नहीं रोक सकते — दो-स्तंभ तालिका बनाइए: WTO मार्ग बनाम द्विपक्षीय समझौता।
5. निष्कर्ष — नियमों के साथ समझौता और बाज़ार-विविधीकरण जोड़िए — वैधता के लिए नियम, सापेक्ष लाभ के लिए समझौता।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. संयुक्त सचिव, वाणिज्य के रूप में आप बंधुआ-श्रम शुल्क से प्रभावित वस्त्र निर्यातकों की मदद कैसे करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं निर्यातकों को आपूर्ति-शृंखला की पता-योग्यता (traceability) बनाने में मदद करूँगा ताकि वे साबित कर सकें कि रेशा और श्रम कहाँ से आता है, क्योंकि अमेरिका प्रमाण माँगता है। मैं राज्यों से निर्यात-समूहों में बंधुआ-श्रम प्रवर्तन का प्रचार करने को कहूँगा, और स्वच्छ शृंखला वाली फ़र्मों के लिए छूट हेतु USTR पर दबाव डालूँगा, जबकि परिषदें उन्हें अमेरिका से बाहर खरीदार खोजने में मदद करेंगी।

4.3 इराक फिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना; G7 ने 10 करोड़ बैरल जारी किए

मुद्दा पश्चिम एशिया युद्ध और भारत की ऊर्जा सुरक्षा (कड़ी 9) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित • रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी होर्मुज़ की नाकेबंदी और बाव-अल-मंदेब पर हथियों की कसती पकड़ से पश्चिम एशिया के तेल-मार्ग अवरुद्ध हैं। कच्चा तेल \$108 के पार चला गया; पंप-कीमतें जमी होने से तेल कंपनियों की प्रतिदिन लगभग ₹530 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और डीज़ल का राशन चल रहा है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और ब्रुसेल्स, 2 अक्टूबर। सितंबर में भारत का कच्चे तेल का आयात 52.6 लाख बैरल प्रतिदिन (mbd) के साल के उच्चतम स्तर पर पहुँचा, और 28 फ़रवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इराक रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना, द इकोनॉमिक टाइम्स ने Kpler के आँकड़ों के हवाले से बताया। टैंकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से AIS ट्रांसपोंडर, यानी जहाज़ की स्थिति बताने वाले संकेतक, बंद करके गुज़रते हैं और UAE तथा ओमान के जलक्षेत्र में माल जहाज़ से जहाज़ (STS) पर सौंपते हैं, इसलिए जलडमरूमध्य का जोखिम आपूर्तिकर्ता उठाता है। रूसी आयात लगभग 9% गिरकर 19 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जो फिर भी कुल का 35% से अधिक है (द इंडियन एक्सप्रेस)। अनंतिम आँकड़े अलग हैं: इराक 5,25,000 बैरल प्रतिदिन (ET) या 5,51,000 से अधिक (IE)। शुक्रवार को फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के माध्यम से चार महीनों में 10 करोड़ बैरल तेल और डीज़ल जारी करने पर सहमति दी, जिसमें डीज़ल 20 दिनों के भीतर पहले चरण में दिया जाएगा। ब्रेंट \$1.80 गिरकर \$100.50 पर आ गया।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अमेरिका-ईरान युद्ध से होर्मुज़ अवरुद्ध → भारत को खाड़ी की आपूर्ति लगभग समाप्त → ग्राहम अधिनियम रूसी-तेल खरीदारों पर शुल्क की धमकी देता है → STS का रास्ता इराक को वापस लाता है → अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले G7 IEA रिलीज़ जोड़ता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. IEA आयातकों का बीमा-कोष है, और भारत केवल सहयोगी है — अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency) की स्थापना 1973-74 के तेल-प्रतिबंध के बाद 1974 में OECD के ढाँचे के भीतर हुई थी। सदस्यों को पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के कम से कम 90 दिनों के बराबर आपात भंडार रखना और समन्वित रिलीज़ में शामिल होना होता है। भारत मार्च 2017 में सहयोगी (Association) देश बना, इसलिए वह सदस्यों के 90-दिन के भंडारण नियम से बंधा नहीं है।
2. भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार दिनों में मापा जाता है — इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (ISPRL), जो पेट्रोलियम मंत्रालय के तेल उद्योग विकास बोर्ड के अधीन है, कच्चा तेल भूमिगत चट्टानी गुफाओं में रखता है: विशाखापत्तनम (13.3 लाख टन), मंगलुरु (15 लाख टन, MT) और पादुर (25 लाख टन), कुल 53.3 लाख टन, जो राष्ट्रीय खपत के लगभग नौ से दस दिन के बराबर है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 में ऊर्जा सुरक्षा एक स्थायी प्रश्न है — पाठ्यक्रम की पंक्ति है “अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि”। आयात-निर्भरता, अवरोध-बिंदु (chokepoints) और सामरिक भंडार बार-बार आते हैं, और यह खबर तीनों को एक जीवंत संस्था, IEA, से जोड़ती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● होर्मुज़ जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के बीच स्थित है और फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ● 1974 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के लिए ज़रूरी है कि सदस्य पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के कम से कम 90 दिनों के बराबर तेल-भंडार रखें। ● ISPRIL के सामरिक कच्चे तेल भंडार विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मंगलुरु और पादुर (दोनों कर्नाटक) में हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 53.3 लाख टन है। ● G7 में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं, और यूरोपीय संघ भी भाग लेता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा संसाधन : G7 की रिलीज़ भारत की मदद करती है, पर भारत उस पर भरोसा नहीं कर सकता — समन्वित रिलीज़ हर आयातक के लिए विश्व-मूल्य घटाती है, इसलिए भारत बिना योगदान दिए लाभ पाता है। पर वह सदस्यों की राजनीति का अनुसरण करती है: यूरोप के लिए डीज़ल-प्रधान, 3 नवंबर के अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के हिसाब से तय, और एनर्जी एस्पेक्ट्स ने उसे “विशिष्ट और बाध्यकारी प्रतिबद्धता के बजाय राजनीतिक वक्तव्य” कहा। भारत को ऐसी रिलीज़ को बोनस मानकर अपना बफ़र खुद बनाना चाहिए, क्योंकि साझा संसाधन की प्राथमिकताएँ दूसरे तय करते हैं। 2. STS का रास्ता जोखिम आपूर्तिकर्ताओं पर डालता है, पर भारत को असुरक्षित छोड़ देता है — रिफ़ाइनर अब तेल जलडमरूमध्य के बाहर लेते हैं, इसलिए भाड़े और बीमा का जोखिम खाड़ी के उत्पादकों पर आता है। पर एक बड़ा हमला प्रवाह को रोक सकता है। सितंबर में पश्चिम एशिया का हिस्सा 36.7% था, जबकि युद्ध से पहले 56.3% (द इंडियन एक्सप्रेस), इसलिए मार्ग केवल आंशिक रूप से खुला है। 3. खाड़ी का तेल ग्राहम अधिनियम के विरुद्ध भारत का बचाव-कवच है — रूस के कुल आयात के एक-तिहाई से अधिक होने और अमेरिकी कानून द्वारा उसके सबसे बड़े खरीदारों पर 100% तक शुल्क की अनुमति देने के बीच, खाड़ी का कच्चा तेल रिफ़ाइनरों को रूसी बैरल घटाने की “वैकल्पिकता” देता है, जैसा Kpler ने कहा, और इसके ग्रेड अधिक डीज़ल देते हैं। यहाँ स्वायत्तता का अर्थ विकल्प होना है; ध्यान रहे कि सितंबर में रूसी गिरावट चीनी प्रतिस्पर्धा और यूक्रेनी हमलों से आई, भारतीय नीति से नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	होर्मुज़ जलडमरूमध्य में लंबे व्यवधान के दौरान भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को सुरक्षित करने में सामरिक भंडारों के बजाय कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण किस हद तक कारगर हो सकता है? चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — किस हद तक (चर्चा कीजिए) — तौलिए कि विविधीकरण कितनी दूर तक काम करता है और भंडार कहाँ अब भी मायने रखते हैं। 2. भूमिका — सितंबर संभावना और सीमाएँ, दोनों दिखाता है — साल का उच्चतम आयात, फिर भी खाड़ी का हिस्सा युद्ध-पूर्व स्तर से नीचे। 3. विविधीकरण ने सबसे भारी काम किया है — रूसी, फिर STS के रास्ते खाड़ी की आपूर्ति; मूल्यवर्धन के रूप में Kpler के आँकड़े। 4. हर स्रोत के अपने जोखिम हैं — ग्राहम अधिनियम, हमले; मानचित्र: खाड़ी टर्मिनल → UAE/ओमान के पास STS → भारत। 5. भंडार समय देते हैं, आपूर्ति नहीं — ISPRIL दिनों का आवरण देता है; IEA की सहयोगी सदस्यता मूल्य-राहत देती है, भंडार के अधिकार नहीं। 6. निष्कर्ष — पहले विविधीकरण, फिर भंडारों को गहरा कीजिए — स्रोत-विविधता, बड़े भंडार और IEA के साथ गहरे जुड़ाव को मिलाइए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. सचिव, पेट्रोलियम के रूप में, क्या आप अब सामरिक भंडार से कच्चा तेल जारी करेंगे जब G7 भंडार जारी कर रहा है? दृष्टिकोण (Approach): अभी नहीं। G7 की रिलीज़ कीमतों को नरम कर रही है और खाड़ी की आपूर्ति आंशिक रूप से लौट आई है, इसलिए केवल दिनों के भंडार से निकासी आखिरी बफ़र को व्यर्थ गँवाना होगी। मैं उसे वास्तविक भौतिक कमी, जैसे STS मार्ग के ठप होने, के लिए रखूँगा, उसके उपयोग की ट्रिगर-शर्त घोषित करूँगा, और रिफ़ाइनरों को खाड़ी की खोपे पक्की करने के लिए प्रेरित करूँगा।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

आज की दोनों खबरें नुकसान हो जाने के बाद उसकी भरपाई की हैं, और दोनों दिखाती हैं कि भरपाई रोकथाम से महंगी और कम निश्चित होती है। पर्यावरण मंत्रालय अब उन परियोजनाओं को मंजूरी दे रहा है जो कानून द्वारा अपेक्षित पूर्व अनुमोदन के बिना ही बन गईं, और बिजली की लाइनों तथा घटते घास के मैदानों ने जिस रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से खाली कर दिया था, उसमें इस पक्षी को वापस लौटाया जा रहा है। जो राज्य नुकसान होने की प्रतीक्षा करता है और फिर उसे मिटाने की कीमत चुकाता है, उसने महंगा रास्ता चुना है।

5.1 सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम वनशक्ति फ़ैसले के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चात-स्वीकृति मंजूरियाँ फिर शुरू कीं

मुद्दा Environmental clearance regime (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विधि का शासन और विवेकाधिकार • विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी 2006 से परियोजनाओं को काम शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होती है; 2017 की माफ़ी योजना और 2021 के कार्यालय ज्ञापन ने उल्लंघन करने वालों को बाद में आवेदन की छूट दी, और सर्वोच्च न्यायालय 2025 से इन दोनों पर फ़ैसले देता रहा है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 30 सितंबर को अपनी केंद्रीय और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ संस्थाओं तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को 'पश्चात-स्वीकृति' (post facto) पर्यावरणीय मंजूरी (EC) के प्रस्तावों पर कार्रवाई फिर शुरू करने का निर्देश दिया। पश्चात-स्वीकृति मंजूरी उन परियोजनाओं के लिए एक छूट है जिन्होंने कानून द्वारा अपेक्षित पूर्व अनुमोदन के बिना काम शुरू किया, विस्तार किया या आधुनिकीकरण किया। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के कारण जो प्रस्ताव लंबित थे, अस्वीकृत हुए, लौटाए गए या सूची से हटाए गए, उन्हें "तार्किक निष्कर्ष" तक पहुँचाया जाएगा; कोई नया प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्देश वनशक्ति बनाम भारत संघ (Vanashakti vs Union of India) में न्यायालय के 29 जुलाई के उस फ़ैसले को लागू करता है जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची तथा विपुल एम. पंचोली ने सुनाया। उसने मंत्रालय के 2021 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द किया, पहले से दी गई मंजूरियों को वैध रखा, यह ठहराया कि कानून में संशोधन होने तक पूर्व मंजूरी अनिवार्य है, और 2017 की अधिसूचना को सीमित तथा समय-बद्ध मानकर बरकरार रखा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

परियोजनाएँ उस मंजूरी के बिना शुरू हो जाती हैं जो 2006 की अधिसूचना माँगती है → 2017 की एकमुश्त माफ़ी 2021 के कार्यालय ज्ञापन में स्थायी प्रक्रिया बन जाती है → न्यायालय मई 2025 में इस व्यवस्था को रद्द करता है, फिर CREDAI की पुनर्विचार याचिका पर अपना फ़ैसला वापस लेता है → जुलाई 2026 का फ़ैसला 2017 को बरकरार रखता है और 2021 को रद्द करता है → मंत्रालय लंबित मामले निपटाता है और नए मामलों पर रोक लगाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 पूर्व मंजूरी को कानूनी शर्त बनाती है — पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (Environment Impact Assessment Notification, 2006) केंद्र द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 [Environment (Protection) Act, 1986] के अंतर्गत जारी की गई है। सूचीबद्ध परियोजनाओं को निर्माण या विस्तार से पहले मंजूरी लेनी होती है: श्रेणी A की परियोजनाओं का मूल्यांकन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ करती हैं और श्रेणी B का राज्य स्तरीय प्राधिकरण, और यह प्रक्रिया छानबीन, कार्यक्षेत्र निर्धारण, जन परामर्श और मूल्यांकन से होकर गुज़रती है।
- न्यायालय ने बाद की मंजूरी को विसंगति कहा है, फिर भी राहत को ढाला है — ओडिशा में खनन से जुड़े कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (Common Cause v. Union of India, 2017) और एलेम्बिक फ़ार्मास्युटिकल्स बनाम रोहित प्रजापति (Alembic Pharmaceuticals v. Rohit Prajapati, 2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मंजूरी को अनिवार्य और घटना के बाद की मंजूरी को पर्यावरण कानून के लिए पराया ठहराया, फिर भी एलेम्बिक में उसने बंदी की जगह मुआवज़ा चुना। सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर के अनुसार 2026 का फ़ैसला इन्हें ऐसे पढ़ता है कि नियम घोषित किया गया पर उपचार को ढाला गया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- EIA का नाम GS3 पाठ्यक्रम में आता है — "संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन" वाली पंक्ति मंजूरी व्यवस्था को अपने आप में परीक्षा योग्य बनाती है; वनशक्ति अब EIA को कमज़ोर करने के प्रश्न पर प्रमुख मुकदमा है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी की गई है।
- EIA अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत श्रेणी A की परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्र स्तर पर और श्रेणी B की परियोजनाओं का मूल्यांकन राज्य स्तरीय प्राधिकरणों द्वारा होता है।
- 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी के चार चरण हैं: छानबीन, कार्यक्षेत्र निर्धारण, जन परामर्श और मूल्यांकन।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- दृष्टि** — विधि का शासन और विवेकाधिकार: न्यायालय ने एकमुश्त क्षमा की अनुमति दी, स्थायी क्षमा की नहीं — पहले अनुमति लेने का नियम तब निरर्थक हो जाता है जब कोई भी

	पहले बना ले और बाद में आवेदन कर दे, और 2021 के ज्ञापन ने ठीक ऐसा ही समानांतर रास्ता चलाया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के अनुसार न्यायालय ने पूछा कि क्या बाद की मंजूरी का रास्ता सीमित, समय-बद्ध और लोकहित में बनाया गया था: 2017 इस कसौटी पर खरा उतरा, 2021 नहीं। विवेकपूर्ण निष्कर्ष यह है कि कार्यपालिका अतीत के उल्लंघनों के एक वर्ग को अधिसूचना द्वारा एक बार क्षमा कर सकती है, पर क्षमा को नियमित विवेकाधिकार नहीं बना सकती। 2. लंबित मामलों का निर्णय निवेश की रक्षा करता है, पर प्रतीक्षा न करने वालों को पुरस्कृत करता है — बन चुके संयंत्र को ढहाने से पूँजी और रोज़गार नष्ट होते हैं, और लंबित फ़ाइलों के मूल्यांकन का तर्क यही है। पर क़ानून मानने वाले उद्यमी ने प्रतीक्षा की, जबकि पहले बना लेने वाले का मूल्यांकन तैयार परियोजना पर होता है, जहाँ अस्वीकृति कठिन है। इसके विरुद्ध मत यह है कि क्षति आकलन और पारिस्थितिकीय क्षतिपूर्ति उल्लंघन को महंगा बना देते हैं, पर तभी जब वे जल्दी निर्माण से होने वाले लाभ से अधिक हों। 3. चौदह महीनों में तीन फ़ैसले स्वयं एक क़ीमत थे — लाइवलों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मई 2025 की पीठ ने पूरे न्यायिक निर्णयों पर विचार न करके “अनावश्यक” रूप से अनिश्चितता पैदा की। स्थिर सिद्धांत स्वयं पर्यावरण शासन है, और इसीलिए याचिकाकर्ताओं की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने की माँग, जिसकी रिपोर्ट लाइवलों ने दी, महत्व रखती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“पश्चात-स्वीकृति पर्यावरणीय मंजूरी स्वयं में एक विरोधाभास है।” वनशक्ति बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के 2026 के फ़ैसले के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — दोनों पक्षों को तौलकर तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. प्रस्तावना — पूर्व मंजूरी EIA अधिसूचना, 2006 की रीढ़ है — 30 सितंबर के निर्देश का उल्लेख कीजिए। 3. स्थायी व्यवस्थाओं के लिए कथन सही है: 2021 का ज्ञापन रद्द हुआ — मूल्य संवर्धन: कॉमन कॉज़ (2017) और एलेम्बिक (2020)। 4. एकमुश्त खिड़कियों के लिए कथन अतिशयोक्ति है: 2017 की अधिसूचना बची रही — सीमित और समय-बद्ध; समय-रेखा बनाइए 2006 → 2017 → 2021 → मई 2025 → नवंबर 2025 → जुलाई 2026। 5. असली कसौटी यह है कि दंड उल्लंघन के लाभ से अधिक हैं या नहीं — अन्यथा उद्यमी अगली क्षमा की प्रतीक्षा करेंगे। 6. निष्कर्ष — पूर्व मंजूरी को अटल रखिए; कोई भी माफ़ी दुर्लभ और क़ीमत वसूलने वाली हो — तेज़ मूल्यांकन बहाने को समाप्त कर देता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. राज्य EIA प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में आप ऐसी फ़ैक्टरी की पश्चात-स्वीकृति फ़ाइल कैसे निपटाएँगे जो छह वर्ष बिना मंजूरी चली? दृष्टिकोण (Approach): मैं उसका मूल्यांकन गुण-दोष पर करूँगा, तैयार परियोजना पर औपचारिकता के रूप में नहीं। मैं छह वर्षों के नुकसान का आकलन कराऊँगा, पारिस्थितिकीय क्षतिपूर्ति और उपचार योजना तय करूँगा, और मंजूरी को दोनों की शर्त पर दूँगा। यदि स्थल पर्यावरण की दृष्टि से अस्वीकार्य हो, तो लगाई जा चुकी पूँजी के बावजूद मैं कारणों सहित अस्वीकृति की सिफ़ारिश करूँगा, क्योंकि प्राधिकरण तभी विश्वसनीय है जब अस्वीकृति संभव हो।

5.2 पहली बार बंदी-प्रजनित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थार के जंगल में छोड़े जाएँगे

मुद्दा Species recovery and captive breeding (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • नवाचार और सुरक्षा उपाय

अब तक की कहानी थार का बड़ा घास-भूमि पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जंगल में घटकर लगभग 140 रह गया है; 2019 से भारतीय वन्यजीव संस्थान जैसलमेर में विलुप्ति के विरुद्ध बीमा के रूप में बंदी अवस्था में इनका प्रजनन करा रहा है।

समाचार (THE NEWS) जैसलमेर। बंदी-प्रजनित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) पहली बार जंगल में छोड़े जाएँगे, जिससे 2013 से चल रही प्रोजेक्ट GIB का 'पुनर्वन्यीकरण' (rewilding) चरण शुरू होगा। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कम से कम दो नर चूज़े, जिनकी उम्र चार से छह महीने है, 4 अक्टूबर को डेज़र्ट नेशनल पार्क में 15-20 वर्ग किमी के बाड़ों में छोड़े जाएँगे और उन पर रेडियो-टैग लगाए जाएँगे; फ़्री प्रेस जर्नल के अनुसार दस पक्षी रामदेवरा में 3 अक्टूबर को और सुदासरी में 4 अक्टूबर को छोड़े जाएँगे, इसलिए संख्या अभी तय नहीं है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने सम और रामदेवरा में कम से कम 98 पक्षियों का प्रजनन कराया है; जंगल में लगभग 140

बचे हैं, अधिकतर राजस्थान में। रिहाई मानसून के बाद होती है, जब आहार के लिए कीट प्रचुर होते हैं। परियोजना के वैज्ञानिकों के अनुसार छोड़े गए बंदी-प्रजनित बस्टर्डों की वार्षिक उत्तरजीविता केवल 10-30% है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

आवास की हानि, शिकारी जीव और बिजली की लाइनों से टकराव जंगल की आबादी को 120-150 पर रोके रखते हैं → सर्वोच्च न्यायालय बस्टर्ड आवास में लाइनों को भूमिगत करने का आदेश देता है → WII 2019 से जंगल से जुटाए अंडों को बंदी अवस्था में सेता है → बंदी-प्रजनित चूजे अब यह परखने के लिए छोड़े जा रहे हैं कि वे जीवित रहते हैं या नहीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. GIB को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानून में सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है — ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त (Critically Endangered) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [Wildlife (Protection) Act, 1972] की अनुसूची I में सूचीबद्ध है, जो सर्वोच्च संरक्षण है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है और हर एक से दो वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करता है, इसलिए घटी हुई आबादी धीरे-धीरे ही उबरती है। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने GIB आवास में बिजली की लाइनों पर निर्णय दिया है — एम.के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ (M.K. Ranjitsinh v. Union of India) में सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में राजस्थान और गुजरात के प्राथमिकता वाले GIB आवास में जहाँ संभव हो वहाँ ऊपरी लाइनों को भूमिगत करने का आदेश दिया। मार्च 2024 में उसने नवीकरणीय ऊर्जा की लागत पर केंद्र की याचिका पर वह आदेश संशोधित किया, एक विशेषज्ञ समिति गठित की और अनुच्छेद 14 तथा 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. प्रजाति पुनर्प्राप्ति GS3 की संरक्षण वाली पंक्ति में आती है — पाठ्यक्रम की पंक्ति “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” प्रजाति पुनर्प्राप्ति को समेटती है। GIB तीन परीक्षा योग्य विषयों को जोड़ता है: एक संकटग्रस्त प्रजाति, एक न्यायालयीन आदेश और स्वच्छ ऊर्जा से टकराव।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध है। ● जैसलमेर ज़िले में सम और रामदेवरा के GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। ● ‘जंपस्टार्ट’ विधि में जंगली मादाओं द्वारा दिए गए अनिषेचित अंडों को बंदी-प्रजनन केंद्र के जीवनक्षम अंडों से बदल दिया जाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — विकास और पर्यावरण: जिन लाइनों ने पक्षियों को मारा वे खड़ी रहे तो पक्षी छोड़ना व्यर्थ है — बंदी प्रजनन पक्षी पैदा करता है, पर मृत्यु का एक बड़ा कारण, नवीकरणीय बिजली निकालने वाली लाइनों से टकराव, प्रजनन केंद्र के बाहर है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार डेज़र्ट नेशनल पार्क के बाहर लाइनों को भूमिगत करने की सर्वोच्च न्यायालय की दिसंबर 2027 की समय-सीमा इस कार्यक्रम का उतना ही हिस्सा है जितना बाड़ा। निष्कर्ष यह है कि स्वच्छ ऊर्जा और बस्टर्ड थार को तभी साझा कर सकते हैं जब लाइनों का मार्ग परियोजनाओं से पहले तय हो, शवों के मिलने के बाद नहीं। 2. कम उत्तरजीविता अपेक्षित है, इसलिए सफलता की माप पक्षियों से नहीं, वर्षों से होगी — बंदी अवस्था में पले पक्षियों को अब भी रेगिस्तानी लोमड़ियों और शिकारी पक्षियों से बचना सीखना होता है, इसीलिए उत्तरजीविता कम है और सम में शांत वाड़े में नरम रिहाई की जाती है। रिहाई स्थलों के आसपास कम से कम 40 जंगली पक्षी रहते हैं। सफलता का अर्थ है छोड़े गए पक्षियों का जंगल में प्रजनन करना, जिसमें, हर एक से दो वर्ष में अंडे होने को देखते हुए, कई मौसम लगेंगे। 3. प्रजनन प्रौद्योगिकी समय खरीदती है, पर आवास का स्थान नहीं ले सकती — कृत्रिम सेवन, बंदी अवस्था में संसर्ग और कच्छ में ‘जंपस्टार्ट’ अंडा-अदला-बदली वास्तविक उपलब्धियाँ हैं और विनाश के विरुद्ध बीमा हैं। पर 2024-25 के सर्वेक्षण में पाया गया कि पक्षी बस्तियों और नवीकरणीय ढाँचे से मुक्त समतल घास-भूमि में सिमटे हैं। उस घास-भूमि की रक्षा के बिना बंदी झुंड संग्रहालय है, पुनर्प्राप्ति नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	क्या बंदी प्रजनन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास के खतरों से निपटे बिना उसे बचा सकता है? स्पष्ट कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE)	1. निर्देश — स्पष्ट कीजिए — कारण सहित साफ़ बताइए कि अकेला प्रजनन पर्याप्त क्यों नहीं है। 2. प्रस्तावना — लगभग 140 पक्षी बचे हैं; पहली बार बंदी-प्रजनित पक्षी जंगल में उतर रहे हैं —

MAINS QUESTION)

लगभग 20 शब्द।

3. प्रजनन बीमा है: सम और रामदेवरा में कम से कम 98 पक्षियों का प्रजनन — मूल्य संवर्धन: छोड़े गए पक्षियों की 10-30% वार्षिक उत्तरजीविता।
4. गिरावट का कारण बिजली की लाइनें और घटती घास-भूमि हैं, पक्षियों की कमी नहीं — मूल्य संवर्धन: एम.के. रंजीतसिंह मामला और दिसंबर 2027 की भूमिगत करने की समय-सीमा; प्रजनन, रिहाई, उत्तरजीविता, जंगल में प्रजनन का चक्र बनाइए, जिसमें बिजली की लाइनें और आवास की हानि अवरोध के रूप में दिखें।
5. निष्कर्ष — प्रजनन, रिहाई और घास-भूमि की सुरक्षा साथ-साथ कीजिए — लगभग 15 शब्द।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. जैसलमेर के ज़िला कलेक्टर के रूप में, एक सौर डेवलपर GIB क्षेत्र के पार ऊपरी लाइन की मंजूरी माँगता है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं मार्ग को GIB के मानचित्रित आवास और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से मिलाकर देखूँगा, क्योंकि वहाँ ऊपरी लाइन वर्जित हो सकती है। मैं डेवलपर से मार्ग बदलने या लाइन भूमिगत करने को कहूँगा, और जहाँ ऊपरी लाइनें अनुमत हैं वहाँ पक्षी-डायवर्टर लगवाऊँगा, तथा निर्णय को वैन विभाग की सलाह के साथ दर्ज करूँगा, ताकि लाइन खड़ी होने से पहले ऊर्जा लक्ष्यों और न्यायालय द्वारा संरक्षित प्रजाति के बीच संतुलन बन जाए।

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

दूसरी आबादियों के आँकड़ों पर बनी चिकित्सा भारतीय रोगियों को गलत नाप सकती है। हैदराबाद की एक प्रयोगशाला ने भारतीय बच्चों के अभिलेखों से सिकल सेल एनीमिया का पैमाना नए सिरे से बनाया है, और उसका एक ऐसा रूप भी बनाया है जिसे प्रयोगशाला की जरूरत ही नहीं। जनजातीय ज़िलों में केंद्रित, जहाँ प्रयोगशालाएँ कम हैं, ऐसे रोग के लिए यह दूसरी विशेषता पहली से अधिक मायने रख सकती है।

6.1 CSIR-CCMB ने भारतीय बच्चों के आँकड़ों से सिकल सेल एनीमिया के लिए भारत-विशिष्ट गंभीरता स्कोर बनाया

मुद्दा Sickle cell elimination (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता • नवाचार और सुरक्षा उपाय

अब तक की कहानी सिकल सेल रोग, जो जनजातीय समुदायों में आम एक आनुवंशिक रक्त विकार है, 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय उन्मूलन मिशन का लक्ष्य है; नवजात शिशुओं और वयस्कों में जीन की जाँच मिशन का पहला कदम रही है।

समाचार (THE NEWS) हैदराबाद। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार CSIR-कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र (CCMB) के वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाने के लिए एक भारत-विशिष्ट स्कोर विकसित किया है कि सिकल सेल एनीमिया (SCA) किसी रोगी को कितनी गंभीरता से प्रभावित करेगा। SCA एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन असामान्य हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएँ हँसिया के आकार की हो जाती हैं; परिणाम है एनीमिया, पीड़ा के गंभीर दौर और अंगों को क्षति। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्कोरिंग प्रणालियाँ भारतीय रोगियों को नहीं दर्शातीं, जिनमें रोग के कई अफ्रीकी आबादियों से हल्का होने की बात कही जाती है। पहला मॉडल ISS1 (India-specific Severity Score), जो भारतीय बच्चों के नैदानिक आँकड़ों से बना है, ने नैदानिक आकलन को लगभग 83% तक सुधारा। दूसरा, ISS2, प्रयोगशाला मापों की जगह आसानी से देखे जा सकने वाले नैदानिक लक्षणों को लेता है और लगभग 85% सहमति तक पहुँचता है। दल का नेतृत्व करने वाले गिरिराज आर. चंदक के अनुसार भारत सबसे अधिक बोझ वाले देशों में है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

राष्ट्रीय मिशन रोगियों और वाहकों को खोजने के लिए जनजातीय समुदायों की जाँच करता है → फिर चिकित्सकों को जानना होता है कि कौन-से रोगी गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे → दूसरी आबादियों पर बने अंतरराष्ट्रीय गंभीरता स्कोर भारतीय हल्के रोग का गलत आकलन करते हैं → CCMB भारतीय आँकड़ों से स्कोर बनाता है, जिनमें एक प्रयोगशाला के बिना उपयोग हो सकता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. सिकल सेल रोग अलिंगसूत्री अप्रभावी है, इसलिए वाहक स्वस्थ होते हैं पर जीन आगे पहुँचाते हैं — दोनों माता-पिता से सिकल जीन मिलने पर रोग होता है; एक से मिलने पर सिकल सेल ट्रेट होता है, जिसमें व्यक्ति आमतौर पर स्वस्थ वाहक रहता है। दो वाहकों के हर गर्भ में प्रभावित संतान की संभावना चार में से एक होती है, इसीलिए वाहक जाँच और परामर्श रोकथाम के केंद्र में हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) सिकल सेल रोग को थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के साथ उन रक्त विकारों में गिनता है जो विनिर्दिष्ट दिव्यांगता माने जाते हैं।
2. राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल रोग को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है — राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission) जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल में शुरू हुआ। जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से चलने वाला यह मिशन 40 वर्ष तक की आयु के लोगों की जाँच करता है, सिकल स्थिति दर्शाने वाले कार्ड जारी करता है, और परामर्श तथा उपचार उपलब्ध कराता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. यह कहानी दो पाठ्यक्रम पंक्तियों को जोड़ती है: स्वास्थ्य सेवाएँ और स्वदेशी विज्ञान — GS2 में “स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े विषय” आते हैं, और GS3 में “विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण”। यह उपकरण दोनों के लिए तैयार उदाहरण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- सिकल सेल रोग बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन से होता है और अलिंगसूत्री अप्रभावी प्रतिरूप में वंशानुगत होता है।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 सिकल सेल रोग को उन रक्त विकारों में शामिल करता है जो विनिर्दिष्ट दिव्यांगता माने जाते हैं।
- कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, हैदराबाद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक प्रयोगशाला है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. दृष्टि — विकास और समता: प्रयोगशाला-मुक्त स्कोर उन रोगियों तक पहुँचता है जिनके लिए मिशन है — रोग जनजातीय ज़िलों में केंद्रित है, जहाँ किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मानक गंभीरता स्कोर के लिए आवश्यक जाँचें चलाने की प्रयोगशाला न हो सकती है। ISS2, जो चिकित्सक को दिखने वाले लक्षणों पर निर्भर है, वहाँ उपयोग हो सकता है जहाँ रोगी वास्तव में

	हैं। इसलिए सरल उपकरण अधिक समतामूलक है, बशर्ते स्कोर अनिश्चित होने पर प्रयोगशाला भेजने की सुविधा बनी रहे। 2. जाँच रोगियों को खोजती है; गंभीरता स्कोर तय करता है कि किसे पहले देखभाल चाहिए — बड़े पैमाने की जाँच सकारात्मक रोगियों की लंबी सूचियाँ बनाती है, और विशेषज्ञों की कमी वाली व्यवस्था को तय करना होता है कि किन पर निकट नज़र रखी जाए। विश्वसनीय गंभीरता स्कोर उस सूची को प्राथमिकता सूची में बदल देता है, जो जाँच और उपचार के बीच की खोई हुई कड़ी है। 3. बच्चों पर बने स्कोर को सबकी देखभाल का मार्गदर्शक बनाने से पहले परखना होगा — मॉडल भारतीय बच्चों के आँकड़ों पर टिका है, और रोगी क्षेत्र तथा आयु के अनुसार भिन्न होते हैं। राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में आने से पहले उसे वयस्कों और अन्य राज्यों में मान्य किया जाना चाहिए, और यह जाँचा जाना चाहिए कि 'हल्के' भारतीय रोग की धारणा गंभीर रोगियों के कम इलाज का कारण न बने। इसके विरुद्ध मत यह है कि पूर्ण मान्यता की प्रतीक्षा चिकित्सकों को उन विदेशी स्कोरों के भरोसे छोड़ती है जो ज्ञात रूप से खराब बैठते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	परीक्षण कीजिए कि जनसंख्या-विशिष्ट नैदानिक उपकरण सिकल सेल रोग को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के भारत के प्रयास को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — सीमाओं सहित जाँचिए कि ऐसे उपकरण कितनी दूर तक सहायक हैं। 2. प्रस्तावना — जनजातीय भारत में केंद्रित एक आनुवंशिक रोग, जिसका 2047 का उन्मूलन लक्ष्य है — राष्ट्रीय मिशन और CCMB के स्कोरों का नाम लीजिए। 3. विदेशी स्कोर भारत के हल्के रोग का गलत आकलन करते हैं; ISS1 आकलन को लगभग 83% तक सुधारता है — मूल्य संवर्धन: ISS2 प्रयोगशाला जाँचों के बिना लगभग 85% सहमति तक पहुँचता है। 4. बच्चों से आगे मान्यता मिलने पर गंभीरता स्कोरिंग प्रयोगशाला-रहित क्लिनिकों में जाँच को उपचार से जोड़ती है — प्रवाह-चित्र बनाइए: जाँच → निदान → गंभीरता स्कोर → स्थानीय देखभाल या रेफरल। 5. निष्कर्ष — वाहक जाँच और परामर्श को देखभाल के लिए भारत में बने उपकरणों के साथ जोड़िए — रोकथाम और देखभाल मिलकर उन्मूलन को विश्वसनीय बनाते हैं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. जनजातीय ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में, आप प्रयोगशाला-रहित गंभीरता स्कोर का उपयोग कैसे करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करूँगा कि जाँचे गए हर रोगी का निदान के समय स्कोर निकालें। गंभीर स्कोर वालों को नियमित अनुवर्तन और उपचार के लिए ज़िला अस्पताल से जोड़ा जाएगा, और शेष की निगरानी स्थानीय स्तर पर होगी। मैं हर तिमाही परिणामों की समीक्षा करूँगा कि स्कोर उन रोगियों को छोड़ तो नहीं रहा जो बाद में गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं।

7. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

मणिपुर में केंद्र अब चुप्पी को नीति के रूप में बरत रहा है: उसने कुकी-जो सशस्त्र समूहों के साथ युद्धविराम को नवीनीकृत किया है, न समाप्त, और इसके बजाय और सैनिक भेज रहा है। यह विराम हथियार मांगने का दबाव देता है, पर हज़ारों सशस्त्र कार्यकर्ताओं को कानूनी अधर में भी छोड़ देता है। इसी बीच राज्य यह सीख रहा है कि उसका दायित्व केवल मृतकों के प्रति नहीं, लापता लोगों के प्रति भी है।

7.1 केंद्र ने कुकी-जो युद्धविराम को स्थगित रखा; मणिपुर 49 लापता लोगों के परिजनों को भुगतान करेगा

सूदा मणिपुर संघर्ष: मैतेई-कुकी से नगा-कुकी तक (कड़ी 6) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य: स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी मणिपुर का संघर्ष मैतेई-कुकी ढाँचे से आगे बढ़ चुका है: फ़रवरी से नागा-कुकी झड़पों में मौतें 50 पार कर गई हैं, जिन्हें मादक पदार्थों के मार्ग की प्रतिद्वंद्विता बनाए रखती है; AFSPA छह महीने बढ़ाया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने राहत शिविरों में मौतों पर रिपोर्ट माँगी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और गुवाहाटी। द हिंदू के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुकी-जो उग्रवादी समूहों के साथ कार्रवाई स्थगन (Suspension of Operations, SoO) समझौते को, 4 सितंबर, 2025 को “पुनर्वार्ता” की शर्तों पर हुए एक वर्ष के समझौते की अवधि समाप्त होने के एक माह बाद भी, आगे नहीं बढ़ाया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह तब तक स्थगित है जब तक समूह सारे हथियार नहीं सौंपते; SoO के एक सदस्य का कहना है कि न बढ़ाने का “अर्थ यह नहीं कि इसे रद्द कर दिया गया है”। मैतेई और नागा नागरिक संगठन तथा उपमुख्यमंत्री लोसी दिखो इसे रद्द करना चाहते हैं। केंद्र 30 और CRPF कंपनियाँ (लगभग 3,000 कर्मी) और दो कोबरा (CoBRA) बटालियन (लगभग 2,000) भेजेगा। 1 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल ने 3 मई, 2023 से लापता 49 लोगों के परिजनों को एकमुश्त ₹10 लाख प्रति व्यक्ति देने को मंजूरी दी, क्योंकि कानून किसी लापता व्यक्ति को सात वर्ष बाद ही मृत मानता है। संघर्ष में 306 लोग मारे गए हैं और 60,000 से अधिक विस्थापित हुए हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1990 के दशक की कुकी-नागा झड़पें → 2008 का त्रिपक्षीय समझौता कुकी-जो समूहों को शिविरों में रखता है → मई 2023 से मैतेई-कुकी हिंसा घाटी से इसे रद्द करने की माँग लाती है → सितंबर 2025 में नई शर्तों पर नवीनीकरण → सितंबर 2026 में अवधि समाप्त होने पर स्थगन और अधिक सैनिकों का जवाब

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- कार्रवाई स्थगन समझौता युद्धविराम है, शांति समझौता नहीं — SoO समझौते के अंतर्गत सुरक्षा बल किसी सशस्त्र समूह के विरुद्ध कार्रवाई स्थगित करते हैं, जिसके कार्यकर्ता निर्धारित शिविरों में रहते हैं और हथियार निगरानी वाले भंडार में रखे जाते हैं, तय ज़मीनी नियमों के अधीन। मणिपुर का समझौता, जो 2008 में केंद्र, राज्य तथा कुकी नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (कुल 24 समूह) के बीच हुआ, वार्ता चलते रहने तक हिंसा को दबाए रखता है।
- संविधान मणिपुर में संघ पर दायित्व डालता है और उसके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ करता है — अनुच्छेद 355 संघ का कर्तव्य बनाता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे तथा सुनिश्चित करे कि उसकी सरकार संविधान के अनुसार चले। अनुच्छेद 371C मणिपुर की विधानसभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति और पहाड़ी क्षेत्रों पर राज्यपाल की राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट का प्रावधान करता है। छठी अनुसूची की स्वायत्त परिषदें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को समेटती हैं, मणिपुर को नहीं, और यही कमी पहाड़ी माँगों के बार-बार उठने के पीछे है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- पूर्वोत्तर में उग्रवाद प्रबंधन GS3 का स्थायी विषय है — पाठ्यक्रम “सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन” तथा “संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध” पर पृच्छता है। युद्धविराम समझौते, AFSPA और अनुच्छेद 355 बार-बार आते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- संविधान का अनुच्छेद 355 संघ पर कर्तव्य डालता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे।
- अनुच्छेद 371C मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा की एक समिति शामिल है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है; मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं आता।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- दृष्टि** — केंद्र और राज्य: संघ के हाथ में उत्तोलक हैं जबकि राज्य राजनीति का बोझ ढोता है — समझौता, सैनिक और वार्ता नई दिल्ली में तय होते हैं, जबकि मणिपुर की सरकार विभाजित है और उसके उपमुख्यमंत्री रद्द करने की माँग कर रहे हैं। अनुच्छेद 355 केंद्रीय नियंत्रण को उचित ठहराता है, पर जिस समाधान को राज्य अपना न माने वह टिकेगा नहीं। विवेकपूर्ण निष्कर्ष यह है कि हथियारों की शर्त राज्य के साथ मिलकर तय की जाए, ताकि ‘स्थगन’ एक साझा रख बने

	जिससे स्थानीय नेता पल्ला न झाड़ सकें। 2. स्थगन स्पष्टता के बदले दबाव का सौदा करता है, और यह सौदा उलट भी सकता है — समझौते को न नवीनीकृत करना, न समाप्त करना समूहों पर हथियार डालने का दबाव बनाता है बिना कार्यकर्ताओं को वापस पहाड़ों में धकेले। पर SoO के एक सदस्य के अनुसार वार्ताकार 30 अप्रैल से उनसे नहीं मिला है, इसलिए सशस्त्र शिविरों के पास न नियम हैं, न वार्ता। इसके विरुद्ध मत यह है कि निरस्त्रीकरण के बिना नवीनीकरण समूहों को पुरस्कृत करता है, जबकि अधिकारियों के अनुसार नागरिकों के पास के हथियार हत्याओं को हवा दे रहे हैं। स्थगन तभी काम करता है जब वह छोटा हो और वार्ता की तिथि से बंधा हो। 3. लापता लोगों को कानूनी रास्ता चाहिए, केवल नक़द अनुदान नहीं — मृत्यु प्रमाणपत्र या शव-परीक्षा रिपोर्ट के बिना लापता लोगों के परिवार केंद्रीय सहायता योजना से बाहर रह जाते हैं; ₹10 लाख का “मानवीय उपाय” यह अंतर एक बार भरता है। टिकाऊ उत्तर संघर्ष में लोगों को लापता घोषित करने की विशेष प्रक्रिया है, ताकि संपत्ति, पेंशन और उत्तराधिकार सात वर्ष तक अटक न रहें।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	उग्रवादी समूहों के साथ युद्धविराम समझौते हिंसा को दबाए रख सकते हैं पर संघर्ष को सुलझा नहीं पाते। मणिपुर में कार्बाई स्थगन समझौते के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — लाभ और लागत को तौलकर निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. प्रस्तावना — 2008 का त्रिपक्षीय समझौता समाप्त हो चुका है और स्थगन में है — मई 2023 से 306 मौतें। 3. समझौते ने 24 समूहों को वर्षों तक नियमों के अधीन शिविरों में रखा — इसने वार्ता के लिए समय खरीदा। 4. इसने राजनीतिक समाधान के बिना हथियारों और माँगों को जमा दिया — समय-रेखा बनाइए 2008 → 2023 → 2025 नवीनीकरण → 2026 स्थगन। 5. निरस्त्रीकरण के साथ वार्ता और नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए — मूल्य संवर्धन: अनुच्छेद 355; 30 CRPF कंपनियाँ और दो कोबरा बटालियन भेजी गईं। 6. निष्कर्ष — निरस्त्रीकरण और राजनीतिक वार्ता से बंधा समय-बद्ध युद्धविराम — सभी समुदायों को शामिल कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. SoO शिविरों वाले पहाड़ी ज़िले के उपायुक्त के रूप में, समझौते के स्थगन में होने पर आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं शिविरों का निरीक्षण जारी रखूँगा ताकि हर हथियार का हिसाब रहे, और शिविर प्रमुखों से संवाद का रास्ता खुला रखूँगा ताकि कार्यकर्ता बाहर न खिसकें। मैं आ रहे केंद्रीय बलों से समन्वय करूँगा ताकि शिविरों के पास टकराव न हो, और ज़िले के लापता लोगों की सूची बनाऊँगा ताकि परिवारों को नई सहायता जल्दी मिले।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — सत्तर डॉक्टर बर्खास्त, सत्तर पद रिक्त: वह निदेशक जिसे क्लिनिक खाली किए बिना अनुशासन लागू करना है

परिदृश्य (SCENARIO) दहिंदू (3 अक्टूबर) के अनुसार आंध्र प्रदेश ने एक वर्ष से अधिक समय तक बिना अनुमति गैरहाज़िर रहे 70 सिविल असिस्टेंट सर्जनों को बर्खास्त कर दिया है। जो डॉक्टर स्वयं आगे आएंगे, वे वेतन-वृद्धि रोके जाने जैसे उपायों के अधीन दोबारा काम पर लौट सकते हैं, और 78 ऐसा कर भी चुके हैं। एक आकलन में 493 डॉक्टर और अन्य कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को “शून्य नरमी” बरतने और अनुशासनात्मक कार्यवाही तीन महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है, तथा इससे खाली हुए पदों को “शून्य रिक्ति नीति” के अंतर्गत भरने को कहा है। मान लीजिए आप ज़िला अस्पताल नेटवर्क के स्वास्थ्य सेवा निदेशक हैं। आपके अधीन दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहले से कोई डॉक्टर नहीं है। एक अनुपस्थित डॉक्टर लिखता है कि परिवार में बीमारी और घर से बहुत दूर तैनाती के कारण वह नहीं आ सका, और दोबारा काम पर लौटने की प्रार्थना करता है। एक रसूखदार स्थानीय नेता आपसे अपने एक रिश्तेदार के मामले में “धीमी गति से चलने” को कहता है।

प्रश्न 1. टकराते हुए मूल्यों और हितधारकों की पहचान कीजिए। हर निर्णय की कीमत ग्रामीण रोगी को कैसे चुकानी पड़ती है?

प्रश्न 2. तीन महीने की समय-सीमा में आप जान-बूझकर अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर और वास्तविक कठिनाई वाले डॉक्टर में अंतर कैसे करेंगे?

प्रश्न 3. आप नेता के अनुरोध को कैसे संभालेंगे, और इस बीच हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी कैसे बनाए रखेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- 1. अनुशासन और सेवा एक ही कर्तव्य के दो पहलू हैं —** अनियंत्रित अनुपस्थिति उस गाँव के साथ अन्याय है जिसके पास डॉक्टर नहीं है, और कठोर बर्खास्तगी से यदि पद खाली रह जाए तो उसी गाँव के साथ दोबारा अन्याय होता है। अनुशासन और ग्रामीण स्वास्थ्य-सेवा, दोनों रोगी के प्रति न्यास (ट्रस्ट) के रूप में धारित हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता।
- 2. व्यक्तिगत सुनवाई, एकसमान मानदंड —** अनुपस्थिति एक आरोप है, निर्णय नहीं। हर डॉक्टर को नोटिस, अपनी बात रखने का अवसर और तर्कसंगत आदेश दीजिए, ताकि तीन महीने की घड़ी के बीच भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो। वेतन-वृद्धि रोककर लौटने के मार्ग को उसी रूप में लीजिए जो वह है, यानी श्रेणीबद्ध दंड, और उसे सब पर समान रूप से लागू कीजिए।
- 3. बर्खास्तगी लागू होने से पहले रिक्ति भरिए —** दोनों खाली केंद्रों के लिए स्थानापन्न (लोकम) या संविदा डॉक्टरों की व्यवस्था कीजिए, बेहतर कर्मचारियों वाले केंद्रों से कर्मचारियों को बारी-बारी से भेजिए और चलती-फिरती चिकित्सा इकाइयाँ (मोबाइल क्लिनिक) चलाइए। बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति की निगरानी और पर्यवेक्षकों की समीक्षा के साथ प्रकाशित रोस्टर रोगियों को बताता है कि उन्हें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए।
- 4. एहसान से इनकार कीजिए, अनुरोध को दर्ज कीजिए —** नेता को बताइए कि हर फ़ाइल अपने गुण-दोष पर चलेगी और अनुरोध को लिखित रूप में दर्ज कीजिए। किसी रिश्तेदार का इलाज न किसी अजनबी से धीमा हो सकता है, न तेज़।
- 5. निष्कर्ष — उपस्थिति को अनुपस्थिति से आसान बनाइए —** निष्पक्ष तैनाती, स्थानांतरण नियम और दूरस्थ केंद्रों पर आवास अनुपस्थिति के कारणों को घटाते हैं। कठोर कार्रवाई तभी विश्वसनीय होती है जब तैनाती की नीति भी न्यायसंगत हो।

केस 2 — बाढ़-ग्रस्त गाँव के ऊपर हेलीकॉप्टर: राहत की गति बनाम नीचे प्रतीक्षा कर रहे लोगों की सुरक्षा

परिदृश्य (SCENARIO) इंडियन एक्सप्रेस (3 अक्टूबर) के अनुसार बिहार के सारण में गंडक की बाढ़ से घिरे लोगों के लिए हेलीकॉप्टर से सूखा राशन गिराया जा रहा था। आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे 58 वर्षीय एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने दो बातें बताईं: या तो राहत-सामग्री उस पर गिरी, या उसे दिल का दौरा पड़ा। पुलिस का कहना है कि मृत्यु का कारण शव-परीक्षण से स्पष्ट होगा। हेलीकॉप्टर नीचे उड़ रहा था और उसके पंखों की हवा से टिन के शेड और ढाँचे उड़ गए, जिससे एक और व्यक्ति घायल हुआ। अधिकारियों के अनुसार 170 गाँव और लगभग 3.32 लाख लोग प्रभावित हैं, 2,540 नावें चल रही हैं और NDRF तथा SDRF की 48 टीमें तैनात हैं। ज़िले द्वारा राशन के और पैकेट माँगे जाने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर हवाई आपूर्ति शुरू हुई थी। मान लीजिए आप ज़िला मजिस्ट्रेट हैं। कल एक और बार राशन गिराया जाना है, उतरने के स्थान पर भीड़ जुट रही है, और एक राजनेता चाहता है कि उड़ानें हर हाल में जारी रहें।

प्रश्न 1. यहाँ प्रतिस्पर्धी कर्तव्य क्या हैं? क्या हेलीकॉप्टर सही साधन है, और जोखिम कौन उठाता है?

प्रश्न 2. अगली उड़ान से पहले आप क्या बदलेंगे, और मृत्यु के अनिर्णीत कारण के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे?

प्रश्न 3. यथावत जारी रखने के दबाव का आप क्या उत्तर देंगे, और परिवार को क्या बताएँगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **तात्कालिकता देखभाल के कर्तव्य को समाप्त नहीं करती** — प्राण बचाना और भूखों को भोजन देना लक्ष्य है, पर जो तरीका उन्हीं लोगों को हानि पहुँचाए जिनकी सेवा करनी है, वह लक्ष्य को ही विफल कर देता है। कसौटी “न्यूनतम हानि” वाला वह मार्ग है जो फिर भी सब तक पहुँचे, न कि वह जो सबसे तेज़ दिखे।
2. **तरीका बदलिए, मिशन नहीं** — भीड़ के ऊपर राशन गिराना रोक दीजिए। जहाँ नावें और ज़मीनी टीमें काम कर सकें, वहाँ उनका उपयोग कीजिए, शेडों और घरों से दूर घेरा बाँधकर गिराने का क्षेत्र तय कीजिए, न्यूनतम ऊँचाई निर्धारित कीजिए और भीड़ पर नियंत्रण स्वयंसेवकों या पुलिस को सौंपिए। चिह्नित परिवारों को सूचियों के आधार पर वितरण कीजिए, ताकि लोगों को इकट्ठा होकर प्रतीक्षा न करनी पड़े।
3. **जो ज्ञात नहीं है, उसके बारे में ईमानदार रहिए** — मृत्यु का कारण अभी ज्ञात नहीं है, इसलिए न हेलीकॉप्टर को दोष दीजिए, न उसे नकारिए। शीघ्र और निष्पक्ष जाँच का आदेश दीजिए, शव-परीक्षण की प्रतीक्षा कीजिए तथा परिवार की गरिमा और तात्कालिक सहायता की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मुआवज़े का प्रश्न राहत नियमों के अंतर्गत सरकार को तय करना है।
4. **राजनेता के सामने अपनी बात पर डटे रहिए** — समझाइए कि टाली जा सकने वाली दूसरी मृत्यु राहत कार्य को एक दिन की देरी से कहीं अधिक नुकसान पहुँचाएगी। निर्देशों को लिखित रूप में दर्ज कीजिए और उत्तर के रूप में सुरक्षित योजना रखिए, साथ ही उच्चतर प्राधिकारी की मंजूरी भी लीजिए।
5. **निष्कर्ष** — राहत की परख इससे होती है कि वह किसे सुरक्षित पहुँचती है — अगली बाढ़ से पहले तैयार की गई हवाई आपूर्ति की एक संक्षिप्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सुरक्षित तरीके को ही मूल व्यवस्था बना देगी।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
SIR और वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण — अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21	अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 21 नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण को नियंत्रित करती है, और धारा 21(3) के अंतर्गत आयोग लिखित कारण दर्ज करके किसी नामावली के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश उस रीति से दे सकता है जो वह उचित समझे। ET के अनुसार वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Annual Special Summary Revision), यानी नियमित वार्षिक अद्यतन, 2024 के बाद से घोषित नहीं हुआ है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) वह ज़मीनी स्तर की प्रक्रिया है जो अनेक राज्यों में उसके स्थान पर चल रही है।
वेटी पयनम — तमिलनाडु में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए निःशुल्क बस यात्रा	तमिलनाडु ने अपनी पाँच वर्ष पुरानी 'भगतिर विदियल पयनम' योजना को 'वेटी पयनम' में विस्तारित किया है, जिसमें राज्य परिवहन निगमों की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किराये की यात्रा मिलती है (द हिंदू)। तमिलनाडु के राज्य परिवहन निगम कंपनी अधिनियम, 1956 (Companies Act, 1956) के अंतर्गत पंजीकृत हैं, और रियायती यात्रा के लिए राज्य उन्हें प्रतिपूर्ति करता है।
PMEGP — प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, 2008-09 में प्रारंभ	PMEGP सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण-संबद्ध अनुदान (सब्सिडी) योजना है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। सरकार इसे 2030-31 तक बढ़ाने के एक प्रस्ताव की जाँच कर रही है (ET)।
NBFC और 'नए-ऋण-ग्राहक' उधारकर्ता — पैमाना-आधारित विनियमन और क्रेडिट सूचना कंपनियाँ	ट्रांसयूनियन CIBIL-FIDC के एक अध्ययन के अनुसार NBFC लगभग आधे नए-ऋण-ग्राहकों को ऋण देना आरंभ करती हैं (ET)। RBI NBFC का विनियमन पैमाना-आधारित ढंग से चार स्तरों, आधार, मध्य, ऊपरी और शीर्ष, में करता है। CIBIL जैसी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005) के अंतर्गत कार्य करती हैं।
पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 — नियामकीय उल्लंघनों को अपराध-मुक्त करने के प्रारूप संशोधन	पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (Petroleum Act, 1934) के प्रारूप संशोधनों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं, जिनमें लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन जैसे नियामकीय उल्लंघनों के लिए दीवानी दंड की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि जन-सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए आपराधिक दंड बने रहेंगे (द इंडियन एक्सप्रेस)। यह अधिनियम पेट्रोलियम के आयात, परिवहन, भंडारण और उत्पादन को नियंत्रित करता है।
गुरुग्राम की सड़कों के लिए हरियाणा का भूमि अधिग्रहण — RFCTLARR अधिनियम, 2013	हरियाणा गुरुग्राम में 24 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के अंतर्गत निजी भूमि का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है (द इंडियन एक्सप्रेस)। इस अधिनियम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का स्थान लिया और अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य करता है। संपत्ति का अधिग्रहण समवर्ती सूची (प्रविष्टि 42) में है, जबकि भूमि स्वयं राज्य सूची का विषय है (सूची II, प्रविष्टि 18)।
दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 — निजी विद्यालयों की मान्यता और RTE अधिनियम, 2009	दिल्ली के 2026 के नियम 44 और 50 के संशोधन ने कुछ नए निजी विद्यालयों के लिए लोकहित आकलन और क्षेत्र में आवश्यकता सिद्ध करने वाला खंड हटा दिया है (द इंडियन एक्सप्रेस)। आलोचकों का कहना है कि यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) से टकराता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है।
EU CBAM — 1 जनवरी से निर्णायक चरण	यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism) अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। यह छह क्षेत्रों, अर्थात् लोहा एवं इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन, को समेटता है और 50 टन की सीमा के ज़रिये छोटे आयातकों को छूट देता है (ET)। यह आयातित वस्तुओं में निहित उत्सर्जन पर कार्बन मूल्य लगाता है।
बक्सा बाघ अभयारण्य — बाघ संवर्धन एवं पुनर्प्राप्ति परियोजना और NTCA	पश्चिम बंगाल का बक्सा 1983 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था (ET)। इसकी बाघ संवर्धन एवं पुनर्प्राप्ति परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से शुरू की गई (द इंडियन एक्सप्रेस)। NTCA वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।
ट्रांसपोर्टर-18 — स्पेसएक्स के साझा प्रक्षेपण पर भारतीय	ध्रुव स्पेस, टेकमीस्पेस, सैटलियो लैब्स और ईओएन स्पेस लैब्स सहित भारतीय निजी कंपनियों ने स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-18 साझा (राइडशेयर) अभियान पर अपने पैलोड कक्षा में स्थापित किए (ET, द

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
पेलोड और IN-SPACe की भूमिका	हिंदू)। IN-SPACe अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत वह एकल-खिड़की एजेंसी है जो निजी अंतरिक्ष गतिविधि को अधिकृत और प्रोत्साहित करती है।
सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना — सूक्ष्म कणिका पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) का बाज़ार	गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ प्रस्तावित सूरत योजना कपड़ा संयंत्रों के पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की सीमा तय करती है और उन्हें परमिट का व्यापार करने देती है, जबकि लक्ष्य से चूकने वाली इकाइयों पर परमिट-मूल्य का दस गुना जुर्माना लगाया जाता है (द हिंदू)। इसे 150 संयंत्रों को शामिल करने वाले यादृच्छिक परीक्षण (रैंडमाइज़्ड ट्रायल) में परखा गया।
BNSS की धारा 163 — दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का स्थान लेने वाले निषेधात्मक आदेश	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 163 ज़िला मजिस्ट्रेट या अन्य सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तात्कालिक मामलों में लोक-व्यवस्था भंग होने से रोकने के लिए आदेश जारी करने देती है, और यह दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 144 का स्थान लेती है। ऐसे आदेश जंतर मंतर के आसपास लागू किए गए हैं (द हिंदू)।
राज्य सभा चुनाव — विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत से निर्वाचित	अनुच्छेद 80(4) के अंतर्गत राज्य सभा में किसी राज्य के प्रतिनिधि उसकी विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीटों के लिए चुनाव इसी माह होना है (द हिंदू)।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 3 अक्टूबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरा तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.3 (15 अंक, 250 शब्द)

एक साथ चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति से मिलने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार शक्ति-पृथक्करण की सही समझ को दर्शाता है। चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

भूमिका — सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति से 6 अक्टूबर की बैठक यह कहकर ठुकरा दी कि विधेयक “न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय बन सकता है”। भारत में शक्ति-पृथक्करण कार्यात्मक है, कठोर नहीं; प्रश्न है कि क्या यह इनकार उसका सम्मान करता है।

- निर्णायक न्यायाधीश कानून गढ़ने में सहायक न हों** — अनुच्छेद 82A, जो विधान सभाओं का कार्यकाल लोक सभा के साथ समाप्त करेगा, संभवतः मूल ढाँचे की चुनौती झेलेगा। प्रारूपकारों से निजी बैठक पर स्वयं को अलग करने की याचिकाएँ उठ सकती हैं और निर्णय पर भरोसा डगमगा सकता है। अनुच्छेद 143 में केवल राष्ट्रपति न्यायालय से राय माँग सकते हैं, अतः लेबित विधेयक पर संसद को सलाह देने का मार्ग नहीं है।
- अनुरोध ने तीन भूमिकाएँ धुँधली कीं** — विधेयक से नई शक्तियाँ पाने वाले निर्वाचन आयोग ने जाँच करती समिति और समीक्षा कर सकने वाले न्यायाधीशों की बैठक चाही। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है; न्यायालय की दूरी उसी रेखा को बचाती है।
- प्रतिपक्ष: अंग पहले से सहयोग करते हैं** — अंग सहयोग करते हैं और समितियाँ विशेषज्ञ साक्ष्य लेती हैं। समिति चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को सुन चुकी है, अतः हानि कम है; सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायालय को बाँधे बिना सलाह दे सकते हैं। फिर भी आलोचक इसे सुधार पर उदासीनता मान सकते हैं।

निष्कर्ष — यह इनकार सही समझ है: संयम की क्रीमत शिष्टाचार है, बैठक की क्रीमत विश्वसनीयता हो सकती थी। आगे की राह: समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं और राज्यों पर निर्भर रहे, और विधेयक कानून बने तो न्यायालय निर्णयों से बोले।

यह बनाइए: विधायिका (JPC), कार्यपालिका (निर्वाचन आयोग) और न्यायपालिका का एक त्रिकोण बनाइए; अनुरोध को न्यायपालिका की ओर तीर से दिखाइए और उस पर ‘अस्वीकृत: संभावित समीक्षा’ लिखिए।

(250 शब्द)

11.2 GS1 कोना — भूगोल: थार मरुस्थल: यह शुष्क क्यों है और यहाँ जीवन कैसे चलता है

आज का संदर्भ: 5.2 — बंदि-प्रजनित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जैसलमेर के मरु राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा

- पश्चिमी राजस्थान को पर्वत की दीवार नहीं, मानसून की ज्यामिति सूखा रखती है** — मानसून की अरब सागर शाखा अरावली के समानांतर बहती है और उसे ऊपर उठाने वाली कोई बाधा नहीं मिलती; बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते नमी खो चुकी होती है। पश्चिम के अधिकांश भाग में वर्ष भर में 25 सेमी से कम वर्षा होती है।
- पवन और दुर्लभ जल भू-आकृतियाँ गढ़ते हैं** — पवन अर्धचंद्राकार बरखान और लंबे अनुदैर्ध्य टीले बनाती है। उथले खारे बेसिन, जिन्हें प्लाया कहते हैं, थोड़े समय के लिए पानी रोकते हैं; सांभर भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। लूनी एकमात्र उल्लेखनीय नदी है, और वह मौसमी है।
- बंजर भूमि नहीं, शुष्क घास का मैदान** — खेजड़ी और सेवण जैसी कठोर घासों चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पोषण करती हैं। जैसलमेर का मरु राष्ट्रीय उद्यान टीलों और घास के मैदानों के आवास की रक्षा करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- लूनी अजमेर के पास अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है।
- खेजड़ी (*Prosopis cineraria*) राजस्थान का राज्य वृक्ष है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
मरु राष्ट्रीय उद्यान (Desert National Park), जैसलमेर	पश्चिमी राजस्थान में, थार मरुस्थल के भीतर; पाकिस्तान थोड़ी ही दूरी पर पश्चिम में है।	बंदि-प्रजनित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को यहाँ बाड़ों में छोड़ा जाना है (5.2)।	भारतीय वन्यजीव संस्थान के सम और रामदेवरा स्थित प्रजनन केंद्र जैसलमेर ज़िले में हैं।
होर्मुज़	उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के	टैंकर यहाँ से ट्रांसपोंडर बंद करके	इसकी सबसे संकरी जगह पर

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz)	मुसंदम प्रायद्वीप के बीच; यह फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।	गुज़रते हैं (4.3)।	चौड़ाई लगभग 33 किमी है।
मिलवाँकी (Milwaukee)	विस्कॉन्सिन, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिशिगन झील के पश्चिमी तट पर।	G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी (4.2)।	मिशिगन झील पाँच महान झीलों में अकेली है जो पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित है।
सारण (छपरा), बिहार (Saran, Chhapra)	पश्चिमी बिहार में, पश्चिम की घाघरा और पूर्व की गंडक के बीच; गंगा इसके दक्षिण में बहती है।	गंडक की बाढ़; घिरे हुए गाँवों में हवाई मार्ग से राशन गिराया गया (केस 2)।	गंडक पटना के सामने हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): निष्पक्षता (Impartiality)

अर्थ — निष्पक्षता का अर्थ है हर मामले का निर्णय गुण-दोष और नियमों के आधार पर करना, व्यक्तिगत संबंधों, प्रभाव या दल के कारण किसी के प्रति पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना। यह उदासीनता नहीं है: परिस्थितियों को तौला जाता है, पर सब के लिए एक ही मानदंड से।

आज के समाचार में — केस 1 में एक स्थानीय नेता निदेशक से अपने रिश्तेदार की अनुपस्थिति के मामले में 'धीमे चलने' को कहता है; उत्तर यह है कि हर डॉक्टर के लिए वही नोटिस, वही सुनवाई और वही आदेश।

उत्तर में उपयोग — जिन केस स्टडी में कोई रसूखदार व्यक्ति एहसान चाहता है: विश्लेषण में निष्पक्षता का नाम लीजिए; कार्य-योजना में लिखित, एकसमान प्रक्रिया दिखाइए।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

ज़मीन का एक खाली टुकड़ा कार्रवाई को न्योता देता है, और कार्रवाई तभी सबसे आसानी से दिखाई जा सकती है जब वह तेज़ हो। मशीनें ज़मीन साफ़ करती हैं, पौधों की कतारें लग जाती हैं, और एक साइनबोर्ड घोषणा करता है कि जंगल लौट रहा है। लगाए गए पेड़ों की संख्या कुछ ही हफ़्तों में बताई जा सकती है; वे बचे रहेंगे या नहीं, यह जानने में वर्षों लगते हैं।

कठिनाई यह है कि जंगल पेड़ों का संग्रह नहीं, संबंधों का जाल है। देशज प्रजातियाँ उन कीटों, पक्षियों और मृदा-कवकों के साथ पली-बढ़ी हैं जो उन पर निर्भर हैं। जो पौधे गति या सुंदरता के आधार पर चुने जाते हैं और पास-पास इसलिए लगाए जाते हैं कि छत्र जल्दी बंद हो जाए, वे उस पानी के लिए होड़ कर सकते हैं जिसे शुष्क स्थल नहीं दे सकता। किसी बाहर से लाई गई प्रजाति को एक ही बार में हटा देने से वह छाया और आश्रय भी छिन सकता है जिस पर वन्यजीव पहले से निर्भर हैं।

धीमे तरीके कम प्रभावशाली दिखते हैं। मिट्टी की रक्षा करना, देशज अंकुरों को स्वयं उगने देना, अवांछित प्रजाति को धीरे-धीरे छाँटना और केवल वहीं दोबारा रोपना जहाँ पुनर्वृद्धि विफल हो, इनके लिए धैर्य और निरंतर निरीक्षण चाहिए। इनसे तस्वीरें कम मिलती हैं, और इन्हें निविदा में डालना भी कठिन है, क्योंकि काम पहले से तय नहीं किया जा सकता; वह इस पर निर्भर करता है कि स्थल हर मौसम में क्या करता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि रोपण गलत है। जहाँ मिट्टी उधड़कर गंगी चट्टान रह गई हो, वहाँ प्रकृति को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। बात यह है कि सफलता को इस पैमाने से नापना चाहिए कि भूमि आगे चलकर अपने बल पर क्या कर पाती है, न कि पहले दिन लगाए गए पेड़ों की संख्या से। जिस कार्यक्रम को उसके पहले महीने से आँका जाएगा, उसकी रूपरेखा भी पहले महीने के लिए ही बनेगी।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है?

- हर जगह वृक्षारोपण छोड़कर प्राकृतिक पुनर्वृद्धि अपनानी चाहिए।
- तेज़, गिने जा सकने वाला रोपण पुनर्स्थापना का ख़राब माप है, जो टिकाऊ पारिस्थितिक संबंधों पर निर्भर करती है।
- देशज प्रजातियाँ हमेशा बाहर से लाई गई प्रजातियों से तेज़ बढ़ती हैं।
- रोपण कार्यक्रम चलाने वाले अधिकारियों को जंगलों की परवाह नहीं होती।

Q2. कथन “जिस कार्यक्रम को उसके पहले महीने से आँका जाएगा, उसकी रूपरेखा भी पहले महीने के लिए ही बनेगी” इस धारणा पर आधारित है कि

- जंगलों की पुनर्स्थापना एक महीने में हो सकती है।
- योजनाकार अपना काम उस माप के अनुरूप ढालते हैं जिससे उसे आँका जाएगा।
- रोपण कार्यक्रमों की समीक्षा कभी नहीं होनी चाहिए।
- धीमे तरीके हमेशा तेज़ तरीकों से महँगे होते हैं।

Q3. गद्यांश से निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

- काम को पहले से तय करने वाली निविदाएँ अनुक्रियाशील पुनर्स्थापना की तुलना में तेज़ रोपण के लिए अधिक उपयुक्त हैं।
- बाहर से लाई गई प्रजातियों को कभी नहीं हटाना चाहिए।

- (c) पास-पास लगाए गए पौधे कभी नहीं बचते।
 (d) धीमे तरीकों से कोई परिणाम नहीं मिलता।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. भारत ने सितंबर में प्रतिदिन 52 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया। यदि रूस ने 36% और इराक ने 10% की आपूर्ति की, तो रूस ने इराक से प्रतिदिन कितने बैरल अधिक आपूर्ति की?

- (a) 13,52,000
 (b) 10,40,000
 (c) 18,72,000
 (d) 5,20,000

Q5. पाँच अधिकरणों P, Q, R, S और T के अध्यक्षों की नियुक्ति जनवरी से मई तक हर माह एक की होती है। P की नियुक्ति Q से पहले और Q की S से पहले होती है। R की नियुक्ति S के ठीक अगले माह होती है। T की नियुक्ति न जनवरी में होती है, न मई में। किस अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति मई में होती है?

- (a) P
 (b) Q
 (c) R
 (d) T

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) गद्यांश दिखाई देने वाली गिनती और दीर्घकालिक स्वास्थ्य की तुलना करता है। A को अंतिम अनुच्छेद नकारता है; C और D कहीं नहीं कह गए हैं।

Q2: (b) यह वाक्य तभी टिकता है जब रूपरेखा बनाने वाले उसी कसौटी को लक्ष्य बनाएँ जो लागू की जाती है। A और C गद्यांश के विपरीत हैं, और D का दावा नहीं किया गया।

Q3: (a) तीसरा अनुच्छेद कहता है कि अनुक्रियाशील काम को निविदा के लिए पहले से तय नहीं किया जा सकता। B, C और D गद्यांश की सावधानियों को बढ़ा-चढ़ाकर कहते हैं।

Q4: (a) $36\% - 10\% = 26\%$; 52,00,000 का $26\% = 13,52,000$ । विकल्प C अकेले रूस की आपूर्ति है।

Q5: (c) P, Q, S क्रम में आते हैं और R ठीक S के बाद, इसलिए T केवल S से पहले आ सकता है: P, T, Q, S, R या P, Q, T, S, R। दोनों का अंत R पर होता है।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

युद्ध शुरू करने से कहीं अधिक साहस उसे समाप्त करने में लगता है।

विषय (Themes): युद्ध, शांति और समझौते की राजनीति • नेतृत्व, डूबी हुई लागत और नैतिक साहस • न्यायपूर्ण समझौता बनाम तुष्टीकरण

13 सितंबर 1993 को व्हाइट हाउस के लॉन में यित्ज़ाक राबिन ने यासिर अराफ़ात से हाथ मिलाया, उस व्यक्ति से जिसके विरुद्ध वे लगभग पूरी उम्र लड़ते रहे थे। 1967 के युद्ध में राबिन इज़राइली सेना के प्रमुख थे; उन्हें कोई कमज़ोर नहीं कह सकता था। उस दिन उन्होंने कहा: “हम, जो तुम फ़िलिस्तीनियों के विरुद्ध लड़ें हैं, आज तुमसे ऊँची और साफ़ आवाज़ में कहते हैं: बहुत हो चुका खून और आँसुओं का सिलसिला। बस!” दो वर्ष बाद, 4 नवंबर 1995 को, तेल अवीव की एक शांति-सभा में उनकी हत्या कर दी गई। गोली किसी दुश्मन सैनिक ने नहीं, एक इज़राइली ने चलाई थी, जिसकी नज़र में शांति करना देशद्रोह था। 1977 में यरुशलम जाकर कैप डेविड समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अनवर सादात को भी 1981 में उनके ही देशवासियों ने मार डाला था। युद्ध छेड़ने के लिए शायद ही किसी नेता को अपनों के हाथों जान गँवानी पड़ी हो; युद्ध रोकने के लिए अक्सर गँवानी पड़ी है।

यही इस निबंध की स्थापना है। युद्ध शुरू करने के लिए प्रायः क्रोध, एक शिकायत और ताली बजाती भीड़ काफ़ी होती है। उसे समाप्त करने के लिए नेता को यह स्वीकार करना पड़ता है कि लक्ष्य पूरा नहीं मिलेगा, उसे शहीदों के परिवारों का सामना करना पड़ता है, और उन लोगों के साथ मेज़ पर बैठना पड़ता है जिनसे घृणा करना उसके अपने लोगों को सिखाया गया है। पहला निर्णय भावना की लहर पर तैरता है; दूसरा उस लहर के विरुद्ध खड़ा होता है। इस अर्थ में युद्ध आसान फ़ैसला है।

इतिहास बताता है कि बाहर निकलने का दरवाज़ा इतना कठिन क्यों होता है। युद्ध शुरू होते ही हर मौत उसे जारी रखने का तर्क बन जाती है, क्योंकि रुकना मानो यह कहना है कि पहले की मौतें व्यर्थ गईं। अर्थशास्त्री इसे ‘डूबी हुई लागत’ का भ्रम कहते हैं; सेनापति और राजनेता इसे सम्मान का प्रश्न मानते हैं। वियतनाम युद्ध को बढ़ाने वाले अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट मैकनमारा ने अपने संस्मरण ‘इन रेट्रोस्पेक्ट’ (1995) में माना कि वे और उनके साथी ग़लत थे, फिर भी सरकार के भीतर संदेह जाग जाने के बाद भी युद्ध बरसों चला, क्योंकि कोई ‘हारने वाला’ नेता नहीं कहलाना चाहता था। पहला विश्वयुद्ध 1914 के किसमस तक ख़त्म हो जाने की उम्मीद थी; वह चार साल चला। देश के लिए मरने को गौरव बताने वाली लैटिन पंक्ति को “पुराना झूठ” कहने वाले कवि विल्फ़्रेड ओवेन युद्धविराम से ठीक एक सप्ताह पहले, 4 नवंबर 1918 को, मारे गए।

युद्ध को ठीक से समाप्त करना और भी कठिन है, क्योंकि युद्धविराम अभी शांति नहीं है। 1919 की वर्साय संधि ने लड़ाई तो रोक दी पर जर्मनी को अपमानित किया; जॉन मेनार्ड कीन्स ने ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल से इस्तीफ़ा दिया और ‘द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेन्सेज़ ऑफ़ द पीस’ (1919) में चेताया कि ऐसी शर्तें अगली तबाही को जन्म देंगी। कोरियाई युद्ध जुलाई 1953 में एक युद्धविराम-समझौते से थमा, पर शांति-संधि कभी नहीं हुई, इसलिए सत्तर वर्ष बाद भी प्रायद्वीप तकनीकी रूप से युद्ध में है। टिकाऊ शांति के लिए विजेता को भी कुछ छोड़ना पड़ता है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका ने बदले की जगह मार्शल योजना चुनी, और आज का यूरोपीय संघ उस कोयला-इस्पात समुदाय से निकला जिसका उद्देश्य फ़्रांस और जर्मनी के बीच अगला युद्ध असंभव बनाना था।

भारत के अपने अनुभव में दोनों तरह का साहस दिखता है। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद इंदिरा गांधी ने पश्चिमी मोर्चे पर एकतरफ़ा युद्धविराम की घोषणा की, जो अगले दिन से लागू हुआ, जबकि कुछ लोग आगे बढ़ने की सलाह दे रहे थे। जुलाई 1972 के शिमला समझौते में भारत ने जीती हुई ज़मीन लौटाई और आगे चलकर 90,000 से अधिक युद्धबंदी भी; आलोचक आज भी बहस करते हैं कि बदले में बहुत कम मिला। सबसे स्पष्ट उदाहरण मिज़ोरम का है। बीस वर्षों तक मिज़ो नेशनल फ्रंट भारतीय राज्य से लड़ता रहा। जून 1986 में राजीव गांधी ने उसके नेता लालडेंगा के साथ मिज़ो समझौते पर हस्ताक्षर किए; लालडेंगा ने हथियार डाले और मुख्यमंत्री बने। दोनों ने राजनीतिक जोखिम उठाया: एक पर विद्रोहियों को पुरस्कृत करने का आरोप लगा, दूसरे पर आंदोलन से विश्वासघात का। तब से मिज़ोरम पूर्वोत्तर के सबसे शांत राज्यों में गिना जाता है। हमारी सबसे पुरानी युद्ध-कथा महाभारत यही बात उलटी दिशा से कहती है: युद्ध टालने के लिए कृष्ण कौरवों की सभा में केवल पाँच गाँव माँगने गए, और दुर्योधन ने सुई की नोक भर ज़मीन देने से भी इनकार कर दिया। परिणाम ऐसा संहार हुआ कि राज करने को लगभग कोई नहीं बचा।

विज्ञान इस तर्क का सबसे कठोर रूप सामने रखता है। हिरोशिमा के दस वर्ष बाद, 1955 में, बर्ट्रैंड रसेल और अल्बर्ट आइंस्टीन ने अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ एक घोषणापत्र जारी कर पूछा: “क्या हम मानव जाति का अंत कर देंगे, या मानवता युद्ध का त्याग करेगी?”

सात वर्ष बाद, अक्टूबर 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट में कैंनेडी और खुश्चेव, दोनों ने अपने उन सलाहकारों को अनसुना किया जो तनाव बढ़ाना चाहते थे। खुश्चेव ने क्यूबा से मिसाइलें हटाईं; अमेरिका ने चुपचाप तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाना स्वीकार किया। अपने-अपने कट्टरपंथियों की नज़र में दोनों में से कोई नायक नहीं लगा, पर दोनों ने करोड़ों जानें बचाईं, और 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई।

प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेना ज़रूरी है। कभी-कभी संघर्ष ख़त्म करने की जल्दी साहस नहीं, डर होती है। 1938 में म्यूनिख में नेविल चैम्बरलेन ने चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा हिटलर को सौंपकर “हमारे समय के लिए शांति” ख़रीदी; एक वर्ष के भीतर यूरोप युद्ध में था। मई 1940 में जब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य जर्मनी से शर्तें टटोलना चाहते थे, तब साहस चर्चिल के बातचीत से इनकार में था। युद्धविराम अन्याय को जमा भी सकते हैं: आक्रांता हड़पी हुई ज़मीन रखे रहता है और पीड़ित पर ‘शांति’ के नाम पर उसे मान लेने का दबाव डाला जाता है। युद्ध को किसी से बेहतर जानने वाले सेनापति आइज़नहावर ने 1953 में दुनिया को याद दिलाया कि हर हथियार “उन लोगों से की गई चोरी है जो भूखे हैं और जिन्हें भोजन नहीं मिलता”, पर उन्होंने यह दावा नहीं किया कि हमले के बीच कोई राष्ट्र हथियार डाल सकता है।

ये आपत्तियाँ स्थापना को काटती नहीं, उसे और धार देती हैं। म्यूनिख ने कोई युद्ध समाप्त नहीं किया; उसने एक तीसरे देश की बलि देकर युद्ध टाल भर दिया, और चर्चिल का साहस ऐसी शांति टुकड़ाने में था जिसका अर्थ आत्मसमर्पण होता। विषय जिस साहस की बात करता है, वह कुछ और है: युद्ध का न्यायसंगत लक्ष्य पूरा होते ही, या जब लड़ाई से वह मिल ही न सके, रुक जाने का साहस, और शत्रु को ऐसी शर्तें देने का साहस जिनके साथ वह जी सके। इसके लिए तीन चीज़ें चाहिए जो युद्ध स्वयं नहीं माँगता: इस बारे में ईमानदारी कि बल से क्या मिल सकता है, विरोधी की गरिमा बचाए रखने की उदारता, और अपने ही समर्थकों का सामना करने का कलेजा। कोलंबिया ने दिखाया कि यह कितना कठिन है। 2016 में वहाँ के मतदाताओं ने FARC विद्रोहियों के साथ हुए शांति-समझौते को मामूली अंतर से टुकरा दिया; राष्ट्रपति हुआन मैनुअल सांतोस ने हार मानने के बजाय दोबारा बातचीत की, और संशोधित समझौते का उसी वर्ष अनुमोदन हुआ। उत्तरी आयरलैंड में 1998 का गुड फ्राइडे समझौता इसलिए टिका क्योंकि दोनों पक्षों के नेताओं ने कभी की अपनी माँगों से कम स्वीकार किया।

युद्ध एक आदेश से शुरू हो सकता है। शांति शोक, अहंकार और लड़ाई से लाभ उठाने वालों की आवाज़ों के विरुद्ध खड़ी करनी पड़ती है। आज जब यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के कई प्रस्ताव तौले जा रहे हैं, जिनमें एक भारत का भी है, तो प्रश्न यह नहीं कि रणभूमि में अधिक ताकत कौन दिखाता है, बल्कि यह कि वार्ता की मेज़ पर अधिक साहस कौन दिखाता है। युद्ध शुरू करने वाला नेता एक दिन के लिए याद किया जाता है। जो उसे न्याय के साथ समाप्त करे, और इसकी कीमत अपने ही घर में चुकाए, वह कहीं अधिक लंबी स्मृति का अधिकारी है।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): यूक्रेन के विदेश मंत्री ने मेज़ पर रखे चार प्रस्तावों में भारत के शांति-प्रस्ताव को सबसे व्यापक बताया। रूस ने लगातार दो दिन कीव के नीपर पुलों पर हमले किए; यूक्रेन ने और वायु-रक्षा इंटरसेप्टर माँगे